# VI विनियमन, पर्यवेक्षण और वित्तीय स्थिरता

*वैश्विक वित्तीय संकट शुरू होने के बाद के पाँच वर्षों में दुनिया भर के नीति निर्माताओं ने अपनी वित्तीय प्रणाली को फिर से बनाने पर ध्यान दिया है ताकि प्रणाली मजबूत हो, संक्रमण के ख़तरों को कम किया जा सके और भविष्य में ऐसे संकटों को रोका जा सके। विनियामक और पर्यवेक्षी ढाँचे को मजबूत बनाने के अलावा रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग व नॉन-बैंकिंग क्षेत्रों में आस्ति गुणवत्ता की चिंता को देखते हुए जोखिम को कम करने पर भी ध्यान दिया है। बैंक ने पूर्व चेतावनी व्यवस्थाएं कायम की हैं और उधारकर्ता खातों की क्रेडिट क्वालिटी की लगातार निगरानी हेतु व्यवस्थाओं को तैयार किया है। वित्तीय सुदृढ़ता सुनिश्चित करने के लिए इसने प्रतिचक्रीय बफ़र्स की प्रक्रिया शुरू की है। आम तौर पर एनबीएफसी की पहुँच उन ग्राहकों में दूर-दूर तक फैली हुई है जो बैंक सुविधाओं से उतना नहीं जुड़े हैं और इस प्रकार वित्तीय समावेश को बढ़ाने में उनकी भूमिका अहम है। अतः ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए इनका पर्यवेक्षण और विनियमन भी सावधानी से किए जाने की जरूरत है।*

VI.1 वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बैंकों के तुलन-पत्रों से होने वाले संक्रामक ख़तरों तथा बाद में यूरो संकट में उजागर हुए सरकारी तुलन-पत्रों पर पड़ने वाले उनके प्रभावों से जाहिर होता है कि वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने में नीतिगत ढाँचे का स्थान महत्त्वपूर्ण है। हाल में घरेलू अर्थव्यवस्था की कमजोरी और बैंकिंग क्षेत्र के दबावग्रस्त आस्ति परिदृश्य के बीच यूएस टेपरिंग की घोषणा के बाद विदेशी मुद्रा बाजार में देखे गए दबावों से घरेलू बाज़ार की कमज़ोरियां सामने आईं जिससे भारतीय नीति-निर्माता समष्टि स्तर पर विवेकपूर्ण व टिकाऊ समाधानों की ओर उन्मुख हुए।

VI.2 प्रणालीगत स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सुदृढ़ वित्तीय व्यवस्था विकसित करने के अपने प्रयास में रिज़र्व बैंक ने अग्रसक्रिय होकर जोखिम वाले ऋण की पहचान, दिए जा चुके ऐसे ऋणों का पता लगाने व इन पर निगरानी रखने तथा समय रहते चूक की संभावना को समुचित रूप से निष्क्रिय कर देने तथा जहाँ अपरिहार्य हो, वहाँ फँसे धन को जल्द व किफायती ढंग से निकाल लाने की प्रक्रिया सुनिश्चित करने की दिशा में अधिक उपाय किए ताकि हानि तथा प्रणाली स्तर पर संभाव्य संक्रमण को रोका जा सके। इसने बैंक व नॉन-बैंक क्षेत्रों में ऋण-मूल्य-निर्धारण की अधिक न्याय-संगत व्यवस्था लागू करने का भी प्रयास किया। ग्राहक सेवा में बढ़ोतरी तथा बैंकिंग जागरुकता व बैंकिंग प्रसार में बेहतरी लाने के प्रयास रिज़र्व बैंक के विनियामक व पर्यवेक्षी उपायों की कार्यसूची में प्राथमिकता पर बने हुए हैं।

## वित्तीय स्थिरता मूल्यांकन

*चक्रीय ढलान व क्षेत्र विशेष की समस्याओं के कारण बैंकों की आस्ति गुणवत्ता दबाव में*

VI.3 बैंकिंग क्षेत्र की मज़बूती और आस्ति गुणवत्ता के मानकों में वर्ष के दौरान गिरावट आई (सारणी VI.1)। तथापि, अंतिम तिमाही में इन संकेतकों में सुधार के लक्षण दिखे। जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूँजी अनुपात भी 2013-14 में नीचे गया। चलनिधि व लाभप्रदता के संकेतक दबाव में बने हुए हैं।

VI.4 विभिन्न बैंकिंग स्थिरता उपाय जो बैंकिंग इक्विटी मूल्यों में साथ-साथ होने वाले उतार-चढ़ावों पर आधारित हैं, बताते हैं कि बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत जो दबाव निर्भरताएं (स्ट्रेस डिपेंडेंसिज़) 2013-14 की दूसरी तिमाही से उठान पर थीं, वे जनवरी 2014 से स्थिर हैं। दबाव की स्थितियों को बहुत ज्यादा मानकर किए गए दबाव परीक्षण बताते हैं कि यद्यपि अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का प्रणाली स्तरीय सीआरएआर विनियामक न्यूनतम से काफी अधिक है, परंतु प्रतिकूल समष्टि-आर्थिक परिस्थितियों में प्रत्याशित क्षतियों की पूर्ति के लिए अपेक्षतया अधिक प्रावधानीकरण की जरूरत है। तथापि, सामान्य परिस्थितियों में, हालात के और बिगड़ने की संभावना नहीं लगती।

*वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) तथा वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) सुधारों का कार्यान्वयन जारी है*

VI.5 वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) की उप समिति खाता एकत्रीकरण सुविधा (अकाउंट एग्रीगेशन

फेसिलिटी) विकसित करने के रास्ते तलाश रही है जिससे किसी ग्राहक को अपनी सभी वित्तीय आस्तियां एक ही जगह पर दिख सकेंगी। यह वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों के साथ वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग (एफएसएलआरसी) के कुछ सुझावों को समान रूप से लागू करने के लिए भी समन्वय कर रही है जिनमें विधायी संशोधनों/नए विधानों की आवश्यकता नहीं है। उप-समिति, जिसने 1 जुलाई 2013 से 30 जून 2014 के बीच तीन बैठकें की हैं, भारत में उन विभिन्न सुधारों के कार्यान्वयन को भी देख रही है जिन पर जी20 विचार विमर्श के तहत सहमति बनी है। इस संबंध में, विभिन्न अंतर-एजेंसी कार्यान्वयन समूह बनाए गए हैं (बॉक्स VI.1) ।

## बॉक्स VI.1
## अंतर्राष्ट्रीय सहमति वाले सुधारों का भारत में कार्यान्वयन

राष्ट्रीय वित्तीय प्राधिकरणों और अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारण निकायों के कार्य का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय करने तथा प्रभावी विनियामक, पर्यवेक्षी व वित्तीय स्थिरता के हितार्थ, वित्तीय क्षेत्र की अन्य नीतियों को विकसित करने व बढ़ावा देने के लिए 2009 में वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) की स्थापना की गई। तब से, एफएसबी ने कई प्रकार के विनियामक और पर्यवेक्षी सुधारात्मक उपाय प्रस्तावित किए हैं जिनके दायरे को देखते हुए उन्हें मोटे तौर पर निम्नलिखित से संबंधित उपायों/सुधारों में वर्गीकृत किया जा सकता है: (ए) बड़े हैं तो फेल नहीं होंगे वाला मर्ज; (बी) संरक्षित व सुरक्षित बाज़ारों व बाजार का आधारभूत ढाँचा; (सी) छाया (शैडो) बैंकिंग की समस्या; और (डी) समष्टि विवेकपूर्ण ढाँचों की स्थापना।

जी20 के एक हस्ताक्षरकर्ता और एफएसबी के एक सदस्य के रूप में भारत उन सुधारों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है जिन पर संकट के बाद के अंतर्राष्ट्रीय माहौल में सहमति हुई है। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) की उप समिति प्रत्येक अधिकार-क्षेत्र की विभिन्न एजेंसियों और प्राधिकारियों के बीच समन्वयकर्ता की भूमिका निभाती है और सुधारों के कार्यान्वयन पर नज़र रखती है। विभिन्न महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में यह अंतर-विनियामक/अंतर-एजेंसी कार्यान्वयन समूहों का गठन करती है जो सुधारों को आगे कार्यान्वित करने का तरीका तय करते हैं, जिसका विवरण नीचे दिया गया है :

- वित्तीय संस्थाओं के लिए एक प्रभावी समाधान व्यवस्था हेतु एक कार्यदल (अध्यक्ष: श्री आनंद सिन्हा और डॉ अरविंद मायाराम) ने सुझाव दिया है कि विभिन्न प्रकार की वित्तीय संस्थाओं पर लागू वर्तमान कानून चाहे जो हों, उनके स्थान पर एक अलग व्यापक कानूनी ढाँचा तैयार किया जाए और उसे सभी वित्तीय संस्थाओं और वित्तीय बाज़ार आधारभूत ढाँचों से संबंधित मुद्दों के समाधान के आवश्यक साधन दिए जाएं। इसमें एक एकल वित्तीय समाधान प्राधिकरण के गठन का भी प्रस्ताव है जो संस्थागत रूपसे विनियामकों/पर्यवेक्षकों और सरकार से स्वतंत्र होंगी।
- इसके अन्य सुझाव इस प्रकार हैं : समाधान कार्रवाई की शुरुआत समय से व तेजी से हो; आवश्यक वित्तीय सेवाओं और महत्त्वपूर्ण कार्यों जैसे भुगतान, क्लीयरिंग और निपटान की निरंतरता सुनिश्चित करने के साथ मूल्य ह्रास से बचा जाए एवं समाधान की लागत कम से कम हो; संरक्षण योजनाओं के जरिये जमाकर्ताओं, इंश्योरेंस पॉलिसी धारकों और क्लाएंट फंड्स/एसेट्स की रक्षा की जाए; सुनिश्चित किया जाए कि क्षति का बोझ शेयरहोल्डरों और बेजमानती लेनदारों पर पड़े।
- ओटीसी डेरिवेटिव्स और बाजार सुधारों हेतु कार्यान्वयन दल (अध्यक्ष: आर गांधी) के सुझाव कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं और इस संबंध में समय सीमा मार्च 2015 तक है।
- भारतीय समाशोधन निगम लिमिडेट (सीसीआईएल) को विश्व स्तर पर संगत कानूनी इकाई पहचान संख्या (लीगल एंटिटी आइडेंटिफ़ायरर्स) जारी करने की सुविधाएं तैयार करने को कहा गया है। सीसीआईएल तत्संबंधी आवश्यक तकनीकी आधारभूत ढाँचा तैयार कर रहा है।
- अंतर-विनियामक/अंतर-एजेंसी छाया बैंकिंग कार्यान्वयन समूह अभी (i) यह आकलन कर रहा है कि एफएसबी के नीतिगत दिशानिर्देशों की कसौटी पर वित्तीय क्षेत्र के सभी विनियामकों की अपने-अपने विनियामक दायरे में अनुपालन स्थिति क्या है, (ii) प्रारंभिक अंतर विश्लेषण ताकि उन सुधार उपायों की पहचान की जा सके जिन्हें कार्यान्वित किया जा सकता है और जहाँ कार्यान्वयन करना आवश्यक नहीं है, (iii) अनुपालन या विश्लेषण ढांचे के चलते अनपेक्षित उपायों के रूप में कुछ सुधार उपायों को चिह्नित करने के कारण और (iv) सुधार लागू करने के लिये अंनतिम समय सीमा ।
- सीआरए पर निर्भरता कम करने से संबंधित अंतर-एजेंसी समूह ने कहा है कि यद्यपि वित्तीय क्षेत्र के संबंधित वर्गों के विनियमों में सीआरए रेटिंग्स के संदर्भ थे, पर वे जोखिम आकलन में परिपूरक जानकारी की भूमिका में थे। अतः बाज़ार के सहभागियों को चाहिए कि निवेश के पूर्व वे समुचित सावधानी बरतें ताकि सीआरए पर यांत्रिक निर्भरता न हो।

## बैंकिंग क्षेत्र का मूल्यांकन

*बैंकों/एफआईज़ के प्रमुख वित्तीय सुदृढ़ता संकेतकों (एफएसआईज़) का रुझान*

VI.6 घरेलू अर्थव्यवस्था में सुस्ती के कारण कई कंपनियों/प्रोजेक्टों पर दबाव पड़ा जिसके चलते हाल के वर्षों में भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में अनर्जक आस्तियों (एनपीए) और पुनर्रचित खातों की संख्या अपेक्षतया अधिक रही। इससे बैंकों की लाभप्रदता प्रभावित हुई जो कि आस्तियों पर घटते प्रतिफल (रिटर्न) में दिखता है। चूक को कवर करने के लिए अधिक प्रावधानीकरण अपेक्षाओं और ऑपरेटिंग खर्चों (जो लागत-आय अनुपात में बढ़ोतरी में दिखता है) में वृद्धि से बैंक की लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, विशेषतः 2013-14 में (सारणी VI.1)

VI.7 कम लाभप्रदता के साथ-साथ 1 अप्रैल 2013 से बेसल III पूँजीमानकों के लागू होने के चलते लगाई गई नई पूँजी के कारण अधिकांश वर्गों में इक्विटी पर प्रतिफल घट गया। यद्यपि सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं (एआईएफआईज़) ने अपने क्षमता मानकों में सुधार किया है, पर 2013-14 में उनका प्रदर्शन अन्य मानकों के संबंध में कमज़ोर प्रतीत होता है। बढ़ते

**सारणी VI.1 : चुनिंदा वित्तीय संकेतक**

(प्रतिशत)

| मद | मार्च - अंत | अनुसूचित वाणिज्य बैंक (एससीबी) | अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी) | अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं (एआईएफआई) | प्राथमिक व्यापारी (पीडी) | जमाराशि लेने वाली एनबीएफसी | एनबीएफसी-एनडी-एसआई |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| सीआरएआर # | 2013 | 13.9 | 12.7 | 19.9 | 39.4 | 22.3 | 28.0 |
| | 2014 | 13.0 | 12.6 | 17.8 | 48.6 | 22.2 | 28.3 |
| मूल (कोर) सीआरएआर # | 2013 | 10.3 | | | | 19.0 | 24.3 |
| | 2014 | 10.1 | | | | 17.8 | 25.0 |
| कुल अग्रिमों की तुलना में कुल एनपीए | 2013 | 3.4 | 5.4 | 0.6 | | 2.5 | 3.5 |
| | 2014 | 4.1 | 5.4 | 0.6 | | 3.1 | 4.0 |
| निवल अग्रिमों की तुलना में निवल एनपीए | 2013 | 1.7 | 1.3 | 0.2 | | 0.8 | 1.6 |
| | 2014 | 2.2 | 1.6 | 0.1 | | 1.0 | 2.0 |
| आस्तियों पर प्रतिफल | 2013 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 1.5 | 2.7 | 2.1 |
| | 2014 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 1.9 | 2.7 | 2.2 |
| इक्विटी पर प्रतिफल | 2013 | 12.9 | | 9.5 | 10.1 | 15.4 | 8.6 |
| | 2014 | 9.5 | | 8.8 | 13.3 | 15.0 | 8.8 |
| क्षमता (लागत/आय अनुपात) | 2013 | 46.2 | 50.4 | 17.0 | 27.2 | 72.2 | 73.9 |
| | 2014 | 48.0 | 56.1 | 18.8 | 30.6 | 76.5 | 72.1 |
| ब्याज स्प्रेड (प्रतिशत) | 2013 | 1.9 | | 2.0 | | 3.6 | 5.3 |
| | 2014 | 1.9 | | 1.9 | | 3.7 | 5.6 |
| कुल आस्तियों की तुलना में चल (लिक्विड) आस्तियां | 2013 | 28.8 | 33.6 | | | 9.1 | 4.8 |
| | 2014 | 28.4 | 35.2 | | | 10.7 | 4.8 |
| सकल अग्रिमों की तुलना में पुनर्रचित अग्रिम | 2013 | 5.8 | 0.5 | | | | |
| | 2014 | 5.9 | 0.6 | | | | |

#: मार्च-13 बेसल-2 के अनुसार और मार्च -14 बेसल-3 के अनुसार.

**टिप्पणी:** 1. मूल सीआरएआर की गणना टीयर-I पूँजी/कुल जोखिम भारित आस्तियां के रूप में की जाती है।
2. चल आस्तियों में नकद, बैंक बैलेंस और सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश शामिल हैं।
3. 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के नाबार्ड, सिडबी और एक्सिम बैंक के लेखा परीक्षित आँकड़े (ऑडिटेड डेटा)।
4. 30 जून 2013 को समाप्त वर्ष के एनएचबी के लेखा परीक्षित आँकड़े, एनएचबी के मामले में वित्तीय वर्ष जुलाई से जून है।
5. 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के नाबार्ड, सिडबी और एनएचबी के अन-ऑडिटेड आँकड़े तथा एक्सिम बैंक के ऑडिटेड आँकड़े।

**स्रोत :** ऑसमॉस विवरणियां; (एससीबी), परोक्ष निगरानी विवरणियां (यूसीबी); पीडी विवरणियां (पीडी); कॉसमॉस विवरणियां (एनबीएफसी)

एनपीए के आसन्न दबाव को तुरंत पहचानने हेतु एक पूर्व चेतावनी प्रणाली लागू करने के लिए रिज़र्व बैंक ने जनवरी 2014 में एक ढाँचा जारी किया जिससे दबावग्रस्त एसेट्स में जान फूँकी जा सके। इस फ्रेमवर्क के प्रस्ताव के तहत, बड़े ऋणों पर केंद्रीय सूचना भंडार (सीआरआईएलसी) का गठन किया गया है(बॉक्स VI.2) ।

**बॉक्स VI.2**

**अर्थव्यवस्था में दबावग्रस्त आस्तियों को पुनर्जीवित करने का ढाँचा: सीआरआईएलसी की प्रमुख भूमिका**

बैंकों के ऋण जोखिम आकलन की गुणवत्ता और प्रणाली में उभरते ऋण जोखिमों का पता लगाने की पर्यवेक्षकों की क्षमता को प्रभावित करने वाली मूलभूत चुनौती है सूचनाओं की असममिति। दबावग्रस्त आस्तियों की प्रबंधन व्यवस्था को सक्रिय करने व इसका समन्वय करने के लिए, जिससे अच्छे जोखिम प्रबंध व वित्तीय स्थिरता हेतु पारदर्शी ऋण सूचना उपलब्ध हो, रिज़र्व बैंक ने जनवरी 2014 में 'वित्तीय दबाव की शीघ्र पहचान, समाधान हेतु तुरंत कार्रवाई और ऋण देने वालों के लिए उचित वसूलीः अर्थव्यवस्था में दबावग्रस्त आस्तियों को पुनर्जीवित करने का ढाँचा' की शुरुआत की। इस ढाँचे में निम्नलिखित को बढ़ावा देने के लिए एक सुधारात्मक कार्य योजना है : (i) समस्याग्रस्त खातों की शीघ्र पहचान, (ii) व्यवहार्य समझे जाने वाले खातों की समय से पुनर्रचना, और (iii) अव्यवहार्य खातों की वसूली या बिक्री के लिए तुरंत कार्रवाई ।

ऋण आँकड़े (क्रेडिट डेटा) जुटाने, उसे स्टोर करने और इसे ऋणदाताओं (लेंडर्स) को उपलब्ध कराने के लिए रिज़र्व बैंक ने अप्रैल 2014 में बड़े ऋणों पर केंद्रीय सूचना भंडार (सीआरआईएलसी) की स्थापना की। सीआरआईएलसी का मूल उद्देश्य है सूचना असममिति को घटाकर बैंकों को क्रेडिट के संबंध में जानकारी भरा निर्णय लेने व आस्ति गुणवत्ता की समस्याओं की शीघ्र पहचान में सक्षम बनाना। सीआरआईएलसी में निवेशों के साथ-साथ निधिक व गैर-निधिक एक्सपोज़र्स सहित उधारकर्ता-वार ब्यौरे रखे जाते हैं।

बैंकों को सीआरआईएलसी को अपने उन सभी उधारकर्ताओं के संबंध में जानकारी देनी होती है जिनका कुल निधि-आधारित (फंड बेस्ड) व गैर-निधि आधारित एक्सपोज़र ₹50 मिलियन या उससे अधिक है। अधिसूचित प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी-एसआई) और एनबीएफसी-फैकटर्स को भी ऐसी सूचना देनी होगी। इसके अलावा, बैंकों को अपने ग्राहकों के उन सभी चालू खातों का विवरण भी देना होगा जिनमें ₹10 मिलियन व उससे अधिक का बकाया शेष (डेबिट या क्रेडिट) है। भारत में इस फ्रेमवर्क में आने वाले ऋणदाताओं को अपने विदेशी शाखाओं/कार्यालयों से मिले बाह्य वाणिज्यिक उधारों (ईसीबीज़) को भी रिपोर्ट करना होगा।

उधारकर्ताओं को पेश आ रही वित्तीय परेशानियों के शुरुआती चेतावनी संकेतों को पकड़ने के लिए फ्रेमवर्क में अपेक्षा की गई है कि अन्य बातों के अलावा बैंक सीआरआईएलसी को उधारकर्ता के विशेष उल्लेख खातों (एसएमए) की स्थिति की जानकारी तत्काल दें। एसएमए -1(31-60 दिनों के बीच मूल या ब्याज अतिदेय) और एसएमए-2(61-90 दिनों के बीच मूल या ब्याज अतिदेय) जहाँ भुगतान की तारीख के बाद (पास्ट ड्यू) के लिए निर्धारित मानदंडों पर आधारित होंगे, वहीं एसएमए-0 में वैसे नॉन-पास्ट ड्यू खाते होंगे जिनमें दबाव के प्रारंभिक संकेत दिखाई दे रहे हैं। जब कोई बैंक किसी उधारकर्ता को एसएमए-2 के रूप में सीआरआईएलसी को रिपोर्ट करता है तो, उस उधारकर्ता में एक्सपोज़र रखने वाले अन्य सभी बैंकों को एक ऑटो फ्लैश रिपोर्ट चली जाती है ताकि ऋणदाता (लेंडर्स) मिलकर एक संयुक्त लेंडर्स फोरम (जेएलएफ) बनाने तथा फ्रेमवर्क के अनुसार सुधारात्मक कार्रवाई करने हेतु जरूरी कदम उठाएं।

जेएलएफ द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई के विकल्प में सामान्यतः ये शामिल हैंः (ए) संशोधन, (बी) पुनर्रचना, और (सी) वसूली। ₹1 बिलियन और उससे अधिक कुल निधि आधारित एवं गैर-निधि आधारित (एई) एक्सपोज़र वाले दबावग्रस्त उधारकर्ताओं के लिए जेएलएफ बनाना आवश्यक होगा, चाहे किसी भी कारोबार में क्यों न हों। पुनर्रचना (रिस्ट्रक्चरिंग) या तो कंपनी कर्ज पुनर्रचना (सीडीआर) व्यवस्था के तहत या तो जेएलएफ के तहत की जा सकती है, परंतु यदि संभाव्य नहीं पाए गए तो जेएलएफ रिकवरी की कार्रवाई शुरू करेगा। ऋणदाताओं को जहाँ इस बात के लिए प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव है कि समाधान योजना बने तो वे दबावग्रस्त आस्तियों की बेहतर विनियामक व्यवस्था द्वारा किसी योजना पर एक साथ व तेजी से सहमत हों, विनियामक दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने पर प्रवाधानीकरण बढ़ाकर हतोत्साहित करने की व्यवस्था है।

सूचीबद्ध कंपनियों की बकाया राशियों (ड्यूज़)की पुनर्रचना (रिस्ट्रक्चरिंग) के लिए, ऋणदाताओं को उनकी हानि/त्याग (निवल वर्तमान मूल्य की दृष्टि से खाते के उचित मूल्य में आई कमी) की क्षतिपूर्ति शुरुआत में ही की जाए तथा इसके लिए वर्तमान विनियमों व सांविधिक अपेक्षाओं के तहत कंपनी की इक्विटीज़ शरू में दे दी जाए। निम्नलिखित को भी हतोत्साहित करने के प्रस्ताव हैंः (i) जान-बूझकर नहीं चुकाने वाले और असहयोगी उधारकर्ताओं के लिए, भाविष्य में उनके उधार को और अधिक महंगा बनाकर, और (ii) लेखापरीक्षकों, वकीलों और मूल्यांकनकर्ताओं के लिए जो अपने उधारकर्ताओं के बारे में गलत सूचना दते हैं जिससे बैंकों की एसेट क्वालिटी में गिरावट आती है।

इस फ्रेमवर्क में एसेट बिक्री के लिए अधिक उदार विनियामक व्यवस्था और एसेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनियों (एआरसी) के लिए प्रोत्साहन की व्यवस्था है ताकि दबाव आस्ति पुनर्रचना और पुनर्वास बाजार बेहतर हो। ढाँचे के प्रस्ताव पर आवश्यक विनियामक परिपत्र रिज़र्व बैंक ने जारी कर दिए हैं और 1 अप्रैल 2014 से यह काम कर रहा है।

**सारणी VI.2: संकेतक**

(प्रतिशत)

| | सकल एनपीए अनुपात | | निवल एनपीए अनुपात | | सकल अग्रिमों की तुलना में पुनर्रचित मानक अग्रिम | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | मार्च-13 | मार्च -14 | मार्च -13 | मार्च -14 | मार्च -13 | मार्च -14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक | 3.8 | 4.7 | 2.0 | 2.7 | 7.2 | 7.2 |
| प्राइवेट सेक्टर बैंक | 1.9 | 1.9 | 0.5 | 0.7 | 1.9 | 2.3 |
| विदेशी बैंक | 3.0 | 3.9 | 1.0 | 1.1 | 0.2 | 0.1 |
| **सकल/कुल** | **3.4** | **4.1** | **1.7** | **2.2** | **5.8** | **5.9** |

**स्रोत:** बैंकों के देशी कारोबार से संबंधित परोक्ष विवरणियां।

*कुछ बैंकों की अनर्जक आस्तियां (एनपीए) बढ़ीं, पर बैंकिंग क्षेत्र का स्वास्थ्य संतोषजनक बना हुआ*

VI.8 2013-14 में बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में गिरावट आई जो मुख्यतः सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के प्रदर्शन को दर्शाता है। पीसबी के सकल व निवल एनपीए अनुपात न केवल समग्र उद्योग के औसतों से अधिक हैं, बल्कि पुनर्रचित मानक अग्रिमों में उनका हिस्सा लगभग 92 प्रतिशत है (सारणी VI.2)।

VI.9 2012-13 व उसके बाद से पुनर्रचित मानक अग्रिमों के स्तर का बढ़ना ऋण आस्ति गुणवत्ता में संभावित प्रच्छन्न दबाव का सूचक है। बैंकों द्वारा आस्ति पुनर्रचना कंपनियों (एआरसी) को ऋणों की बढ़ती बिक्री (ऑफलोडिंग) को देखते हुए 2013-14 की चौथी तिमाही में एनपीए में सुधार की सावधानीपूर्वक परीक्षा करनी चाहिए (सारणी VI.3)।

*अनर्जक आस्तियों (एनपीए) में गैर-प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों का बढ़ता हिस्सा*

VI.10 हाल के वर्षों में बैंकिंग क्षेत्र की ऋण आस्ति गुणवत्ता के ह्रास में गैर-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की अधिक भागीदरी रही है। सिस्टम के कुल एनपीए के अनुपात में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में कुल एनपीए का हिस्सा पिछले वर्ष के लगभग 40 प्रतिशत से घटकर मार्च 2014 के अंत में 36 प्रतिशत पर आ गया। प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र में, मध्यम व लघु उद्यम वर्ग के एनपीए अनुपात बढ़े हैं (सारणी VI.4)।

*कुल अनर्जक आस्तियों (एनपीए) में प्रमुख उद्योग वर्गों का हिस्सा एक-तिहाई से अधिक*

VI.11 बैंकों द्वारा दिए गए ऋण का लगभग 47 प्रतिशत उद्योग क्षेत्र को गया। मार्च 2014 के अंत में सिस्टम के कुल एनपीए का 58 प्रतिशत से अधिक अकेले इसी क्षेत्र का रहा। छह उद्योगों

**सारणी VI.3: एआरसी को ऋण की बिक्री (लोन सेल्स)**

(₹ बिलियन)

| बैंक समूह | जून-12 | सितं-12 | दिसं-12 | मार्च-13 | जून-13 | सितं-13 | दिसं-13 | मार्च-14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक | - | 0.2 | 0.2 | 3.2 | 0.1 | 1.6 | 32.0 | 121.0 |
| प्राइवेट सेक्टर बैंक | 1.0 | 0.9 | 1.6 | 2.7 | 0.5 | 4.4 | 3.7 | 5.9 |
| विदेशी बैंक | 0.1 | 0.4 | 1.2 | 1.7 | 0.2 | - | - | 0.1 |
| **सभी बैंक** | **1.1** | **1.5** | **3.0** | **7.6** | **0.8** | **6.0** | **35.7** | **127.1** |

**टिप्पणी :** आँकड़े तिमाही में प्रवाह को दर्शाते हैं।
**स्रोत:** बैंकों द्वारा रिपोर्ट की गई देशी कारोबार से संबंधित परोक्ष विवरणियां।

**सारणी VI.4: सभी क्षेत्रों में कुल एनपीए**

(संबंधित क्षेत्र को दिए गए कुल अग्रिम के प्रतिशत के रूप में )

| | मार्च-11 | मार्च -12 | मार्च -13 | मार्च -14 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| कृषि | 3.3 | 4.3 | 4.7 | 4.4 |
| मध्यम व लघु उद्यम | 3.6 | 4.0 | 5.1 | 5.2 |
| अन्य प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र | 4.0 | 4.4 | 3.0 | 3.0 |
| कुल प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र | 3.6 | 4.2 | 4.4 | 4.4 |
| गैर-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र | 1.8 | 2.3 | 3.0 | 4.0 |
| कुल | **2.4** | **2.9** | **3.4** | **4.1** |

**स्रोत:** बैंकों के देशी कारोबार से संबंधित परोक्ष विवरणियां।

- आधारभूत ढाँचा, धातु व उत्पाद, वस्त्र, रसायन व रसायनिक उत्पाद, इंजीनियरिंग उद्योग तथा खनन व उत्खनन, को दिया गया अग्रिम सकल अग्रिमों का 30 प्रतिशत और सकल एनपीए का 36 प्रतिशत रहा।

*खुदरा ऋण में वृद्धि, परंतु अनर्जक आस्तियों (एनपीए) में गिरावट*

VI.12 मार्च 2014 की समाप्ति पर खुदरा ऋण (रिटेल क्रेडिट), मामूली रूप से बढ़कर सकल ऋण का 19 प्रतिशत हुआ जिसके सबसे बड़े घटक रहे वैयक्तिक आवास ऋण (47 प्रतिशत), उसके बाद निजी ऋण (पर्सनल लोन्स) (36 प्रतिशत) और ऑटो लोन्स (14 प्रतिशत)। दिए गए ऋण की मात्रा में मामूली वृद्धि के बावजूद, रिटेल क्रेडिट में कुल एनपीए गत वर्ष के 2.3 प्रतिशत की तुलना में गिरकर 2.0 प्रतिशत पर आ गया। समग्र तौर पर कुल (ओवरऑल ग्रॉस) एनपीए अनुपात की तुलना में भी यह काफी कम है।

## वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड द्वारा लिए गए प्रमुख निर्णय

VI.13 1994 में गठित वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बीएफएस) रिज़र्व बैंक के पर्यवेक्षी व विनियामक कदमों को दिशा देने वाला मार्गदर्शक बना रहा । बीएफएस ने जुलाई 2013 से मई 2014 के बीच 11 बार बैठकें कीं। इस निरीक्षण चक्र में 49 बैंकों को कैमल्स एप्रोच के तहत और 28 बैंकों को जोखिम आधारित पर्यवेक्षण (आरबीएस) एप्रोच के तहत कवर किया गया। सभी बैंकों का वार्षिक वित्तीय निरीक्षण ज्ञापन और 2013-14 के निरीक्षण में आने वाली अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं की स्थिति बीएफएस को अप्रैल 2014 तक प्रस्तुत की गई। 15 ऐसे विदेशी बैंकों की आधार पर्यवेक्षी समीक्षा भी बीएफएस के समक्ष रखी गई जिनका भारत में ऑपरेशन छोटा है।

VI.14 बीएफएस से जिन प्रमुख विषयों पर चर्चा की गई, वे इस प्रकार हैं : चुनिंदा एससीबी के पूँजीगत आधार का विस्तार, वाणिज्य बैंकों के पर्यवेक्षी दबाव परीक्षण की प्रक्रिया, ग्रामीण बुनियादी विकास संरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) का आगे उधार दिया जाना (ऑन-लेंडिंग), प्रबंध सूचना प्रणाली (एमआईएस) की गुणवत्ता और आँकड़ों का खरापन (डेटा इंटिग्रिटी), प्रशासन से जुड़े मुद्दे, इंश्योरेंस उत्पादों की क्रॉस सेलिंग के लिए गलत प्रोत्साहन व्यवस्था/तौर-तरीके, मनमाने ब्याज दर प्रभार, असमाधानकृत निर्यात बिलों की वसूली से जुड़ी कमियां, एसेट क्वालिटी में बढ़ता दबाव और ऋण सूचना कंपनियों (सीआईसी) के आवधिक निरीक्षण की आवश्यकता।

VI.15 बीएफएस के निर्देश पर, जुर्माना लगाने की प्रक्रिया की समीक्षा की गई और बैंकिंग रेग्यूलेशन एक्ट (बीआर एक्ट), 1949 के तहत एक संशोधित प्रक्रिया लाई गई। ₹500 मिलियन और उससे अधिक की राशि के फ्रॉड के मामलों में बैंकों की कार्यविधि व की गई कार्रवाई का एक विषय के रूप में रिज़र्व बैंक ने अध्ययन किया।

VI.16 एक राष्ट्रीयकृत बैंक के निरीक्षण में देखा गया कि इसकी अनर्जक आस्तियों, विशेषतः चूक/गिरावट और बट्टे खाते में काफी वृद्धि हुई है। इसके कारणों का पता लगाने तथा संबंधित बैंक द्वारा इस स्थिति से निपटने के लिए किए गए उपायों को जानने के लिए बीएफएस ने एक विशेष जाँच के आदेश दिए। सार्वजनिक क्षेत्र के एक बैंक द्वारा रिपोर्ट किए गए एक बड़े फ्रॉड के बारे में बीएफएस ने सेबी के साथ एक संयुक्त अध्ययन का निदेश देकर यह पता लगाने को कहा कि बैंक व कंपनी द्वारा कहाँ गलती हुई। एक फॉरेंसिक ऑडिट भी किया गया।

VI.17 अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के संबंध में, बीएफएस ने निरीक्षण रिपोर्टों के 42 सारांश तथा ए+ और बी- के बीच रेट किए गए 30 यूसीबी एवं सी+ और डी के बीच रेट किए गए 12 यूसीबी की मुख्य बातों की समीक्षा की। लाइसेंस वाले यूसीबी को रिज़र्व बैंक अधिनियम (आरबीआई एक्ट), 1934 की दूसरी अनुसूची मे शामिल करने के मानकों की समीक्षा का

प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। बीएफएस ने यह भी कहा है कि अपनी जमाराशियों के आकार के अनुसार, सभी यूसीबी एक क्रमिक समय सीमा रखते हुए कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) की ओर बढ़ें।

VI.18 बिना लाइसेंस वाले 23 जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) की स्थिति की एक समीक्षा के आधार पर, बीएफएस ने इन बैंकों के विरुद्ध विनियामक कार्रवाई करने को कहा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के काम-काज की एक समीक्षा करके बीएफएस ने निदेश दिया कि 31 मार्च 2014 से सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक न्यूनतम 9 प्रतिशत का न्यूनतम सीआरएआर रखें। साथ ही, 1995 से आरआरबी को सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलएआर) के संबंध में बाजार भाव पर रखने वाले मानकों से प्राप्त छूट वापस ले ली गई। बीएफएस ने राज्य सहकारी बैंकों और जिला सहकारी बैंकों के लिए न्यूनतम 9 प्रतिशत का सीआरएआर (जिसे क्रमशः 31 मार्च 2017 तक हासिल किया जाना है) निर्धारित करने और राज्य सहकारी बैंकों और जिला सहकारी बैंकों के पूँजी संवर्धन के लिए एसटीसीबी/डीसीसीबी द्वारा दीर्घावधि जमाराशियां और नवोन्मेषी स्थायी कर्ज लिखतों के अनुमोदित निर्गम (इश्यूएंस) का निदेश भी किया। बीएफएस ने राज्य सहकारी बैंकों और जिला सहकारी बैंकों के लिए न्यूनतम 9 प्रतिशत का सीआरएआर निर्धारित करने के भी निदेश दिए जिसे क्रमशः 31 मार्च 2017 तक हासिल करना होगा। साथ ही, राज्य सहकारी बैंकों और जिला सहकारी बैंकों के पूँजी संवर्धन के लिए एसटीसीबी/डीसीसीबी द्वारा दीर्घावधि जमाराशियां और नवोन्मेषी स्थायी कर्ज लिखतों के निर्गम को अनुमोदित भी किया।

VI.19 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के वर्ग में बीएफएस ने निम्नलिखित मुद्दों पर विचार कियाः स्वर्ण ऋण के कारोबार में शामिल होना, सूक्ष्म-वित्त संस्थानों के लिए स्व-विनियामक संगठन (एसआरओ), सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्यूरिटाइजेशन एसेट रिकन्सट्रक्शन एंड द सिक्यूरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया (सीईआरएसएआई) में रिकॉर्ड फाइल करना, किसी पार्टनरशिप फर्म में पूँजी का योगदान करने या पार्टनरशिप फर्मों में पार्टनर बनने और एनबीएफसियों द्वारा प्राइवेट प्लेसमेंट पर रोक। सभी एनबीएफसियों को कहा गया कि बुलियन/प्राथमिक स्वर्ण और सोने के सिक्कों पर कोई अग्रिम न मंजूर किया जाए।

## वाणिज्यिक बैंक

### विनियामक प्रयास

*ऋण के मूल्य-निर्धारण की उचित व्यवस्था शुरू करने के प्रयास*

VI.20 ऋण मूल्य निर्धारण ढाँचे में पारदर्शिता व औचित्य लाने के नीतिगत प्रयासों के बावजूद, ग्राहक सेवा के परिप्रेक्ष्य से कुछ चिंताएं रह गई हैं। ये मुख्यतः ब्याज दरों के अधोगामी बने रहने, नए ग्राहकों की तुलना में पुराने से भेदभाव के बर्ताव और स्प्रेड्स में मनमाने बदलाव से संबंधित हैं। स्थिति को देखते हुए रिज़र्व बैंक ने ऋण मूल्य-निर्धारण से जुड़े मुद्दों की जाँच करने तथा फ्लोटिंग रेट व्यवस्था में एक पारदर्शी व उचित मूल्य-निर्धारण का तरीका निकालने के लिए बैंकों, भारतीय बैंक संघ (ईबीए), अकादमिक दुनिया और रिज़र्व बैंक के सदस्यों को लेकर एक कार्य दल (अध्यक्षः श्री आनंद सिन्हा) गठित किया।

VI.21 इसके प्रमुख सुझाव इस प्रकार हैंः (i) फंड्स की सीमांत लागत के आधार पर बैंक बेस रेट की गणना की ओर बढ़ें, विशेषतः जमाराशियों के कमतर भारित औसत परिपक्वता वाले; (ii) यह सुनिश्चित करें कि मूल्य में आने वाला या किया गया कोई अंतर बैंक के बोर्ड द्वारा पूँजी पर जोखिम समायोजित रिटर्न (आरएआरओसी) को ध्यान में रख कर निर्धारित ऋण मूल्य से संगत हो; (iii) किसी उधारकर्ता के संबंध में स्प्रेड का कारण, उसके रेंज तथा ऋण मूल्य निर्धारण में प्रदत्त शक्तियों का भी स्पष्ट उल्लेख करते हुए आंतरिक नीति बनाई जाए; (iv) पहले के ग्राहक को चार्ज किए गए स्प्रेड में कोई बढ़ोतरी न की जाए, सिवाय तब जबकि उसका रिस्क प्रोफाइल ख़राब हो जाए और (v) फ्लोटिंग रेट ऋण प्रसंविदाओं में ब्याज दर आवधिकता का पुनर्निर्धारण इस प्रकार तय हो कि पुनर्निर्धारण की अनुमति केवल उन्हीं तारीखों को हो।

VI.22 अन्य सुझाव इस प्रकार हैंः (i) बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट (बीपीएलआर) कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए एक समय-सीमा-समाप्ति खंड (सनसेट क्लॉज़) ताकि उसके बाद आने वाले सभी कॉन्ट्रैक्ट्स बेस रेट से लिंक किए जाएं; (ii) फ्लोटिंग ब्याज दर उत्पादों के लिए एक नया मानदंड (बेंचमार्क) विकसित हो यथा आईबीए द्वारा भारतीय बैंक बेस रेट (आईबीबीआर) और इसे आवधिक

रूप से जारी किया जाए; (iii) बैंक को जिस दिन पैसा मिले, प्री-पेमेंट का फायदा उसी दिन से मूल पर लगने वाले ब्याज में कमी के रूप में दिया जाए न कि क्रेडिट को प्रभावी करने के लिए अगले ईएमआई साइकल का इंतजार किया जाए; (iv) रिटेल लोन्स में कॉन्ट्रैक्ट में प्रवेश करते समय ही ग्राहकों को 'निकासी' के साथ और 'बिना निकासी' का विकल्प दिया जाए; (v) अधिक मज़बूत शिकायत निवारण प्रणाली जो ग्राहकों की जरुरतों का ध्यान रखे।

VI.23 रिज़र्व बैंक उन बैंकों को दंडित कर सकता है जो बार-बार शिकायतों के बावजूद, पर्याप्त कदम नहीं उठाते। कार्यदल ने अधिक पारदर्शिता लाने के लिए भी सुझाव दिए ताकि सभी बैंकों की तुलना की जा सके और ग्राहक जानकारी पर धारित निर्णय लें। रिपोर्ट पर प्राप्त जनता की राय पर विचार किया जा रहा है और यथासमय बैंकों को दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे।

*अरक्षित (अनहेज्ड) विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र वाली इकाइयों में एक्सपोज़र के लिए पूँजी और प्रावधानीकरण अपेक्षाएं*

VI.24 चूँकि विदेशी मुद्रा की अस्थिरता, कॉरपोरेट जगत पर प्रभाव के माध्यम से बैंकिंग प्रणाली के स्वास्थ्य पर असर डाल सकती है, प्रस्ताव है कि बहुत ज्यादा अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र पोजीशन वाली इकाइयों में बैंकों के एक्सपोज़र के लिए जोखिम भार और प्रावधानीकरण अपेक्षाएं बढ़ा दी जाएं। जनवरी 2014 में जारी दिशानिर्देशों में वृद्धिशील प्रावधानीकरण और पूँजी अपेक्षाओं की गणना की विधि दी गई है।

*बेसल III के कार्यान्वयन में हाल का घटनाक्रम*

VI.25 यद्यपि अप्रैल 2014 की स्थिति के अनुसार बेसल समिति के तहत आने वाली सभी 27 इकाइयों ने बेसल III पूँजी विनियम लागू कर लिए थे, भारत ने वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ मिलाने के लिए इसे तीन महीने देर (1 जनवरी 2013 की जगह 1 अप्रैल 2013) से लागू किया था।

VI.26 रिज़र्व बैंक ने बेसल III पूँजी विनियमों के पूर्ण कार्यान्वयन की अंतिम तारीख़ एक वर्ष (31 मार्च 2019 तक) आगे बढ़ा दी जिससे एसेट क्वालिटी पर संभावित दबाव व इसके चलते बैंकों के प्रदर्शन/लाभप्रदता पर पड़ने वाले असर को देखते हुए बैंकों को कुछ समय (लीड टाइम) मिल जाए। तरीख बढ़ाने के कारण, भारत में बेसल III का कार्यान्वयन अंतर्राष्ट्रीय सहमति की अंतिम तारीख अर्थात् 1 जनवरी 2019 से कुछ बाद में हो पाएगा। भारत में प्रतिचक्रीय पूँजी बफर्स की शुरुआत की जहाँ तक बात है, एक आंतरिक कार्यदल इस संबंध में अपने ड्राफ्ट रिपोर्ट पर जनता की राय का अध्ययन कर रहा है (बॉक्स VI.3)।

## बॉक्स VI.3
## बासल III: प्रतिचक्रीय पूँजी बफर

2008 के वित्तीय संकट के बाद, केंद्रीय बैंक गवर्नरों और पर्यवेक्षण प्रमुखों ने 7 सितंबर 2009 के अपने प्रेस रिलीज़ द्वारा एक प्रतिचक्रीय पूँजी बफर (सीसीसीबी) ढाँचे को लागू करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। बाद में दिसंबर 2010 में, बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति ने *प्रतिचक्रीय पूँजी बफर ऑपरेट करने वाले राष्ट्रीय प्राधिकारियों के लिए मार्गदर्शन* प्रकाशित किया जिसमें बेसल II ढाँचे से पैदा हुई न्यूनतम विनियामक पूँजी अपेक्षाओं की अतिरिक्त चक्रीयता को निष्क्रिय करने का एक ढाँचा प्रस्तावित किया गया, इस उद्देश्य से कि अच्छे समय में संचित पूँजी का प्रयोग करके आर्थिक सुस्ती के समय बैंकों से वास्तविक क्षेत्र की ओर फंड का प्रवाह बनाए रखा जाए।

इसके अलावा, उछाल के समय में, जब बैंकों को पूँजी का स्तर बढ़ाना होगा, तो वे जैसे-तैसे क्रेडिट देने पर संयम बरतें। बीसीबीएस मार्गदर्शन में एक ऋण-जीडीपी अंतराल (जीडीपी और ऋण (क्रेडिट) अनुपात का अपने एतिहासिक ट्रेंड से अंतर) को सीसीसीबी लागू करने के शुरुआती बिंदु के मुख्य संकेतक के रूप में प्रस्तावित किया गया है। तथापि, बीसीबीएस यह भी कहता है कि राष्ट्रीय पर्यवेक्षक अन्य पूरक संकेतों को भी ऋण-जीडीपी अंतराल के साथ शामिल करके सीसीसीबी लागू कर सकते हैं जो कि किसी बैंक की कुल भारित आस्तियों का 2.5 प्रतिशत तक जा सकता है। भारत में सीसीसीबी फ्रेमवर्क को कार्यान्वित करने के लिए, रिज़र्व बैंक में एक आंतरिक कार्यदल (अध्यक्ष : श्री बी. महापात्र) का गठन किया गया। अतिशय सावधानी में सीसीसीबी को बहुत जल्द शुरू कर देने से विकास की बलि चढ़ानी पड़ सकती है जबकि हल्के में लेने से और बफ़र निर्णय में असफल होने पर दबाव बढ़ सकते हैं।

इस परिप्रेक्ष्य में, कार्यदल ने बेसल समिति द्वारा प्रस्तावित सीसीसीबी ढाँचे को भारतीय परिस्थितियों में बिठाने का प्रयास किया, जहाँ अपेक्षित था वहाँ

*(जारी...)*

उपयुक्त संशोधन सुझाए और दिसंबर 2013 की अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट में भारत में सीसीसीबी फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन के संबंध में निम्नलिखित सुझाव दिए :

- ऋण व जीडीपी के अंतराल का उपयोग यद्यपि यथार्थपरक विश्लेषण द्वारा सीसीसीबी के निर्णय में सहायक होगा, परंतु भारत में बैंकों के लिए यही एकमात्र संदर्भ बिंदु नहीं हो तथा ऋण-जीडीपी अंतराल को अन्य संकेतों जैसे कुल एनपीए (जीएनपीए) में वृद्धि के साथ प्रयोग में लाया जाए।
- जब बफ़र सक्रिय हो तो सीसीसीबी फ्रेमवर्क की निचली सीमा (एल) ऋण-जीडीपी अंतराल (क्रेडिट-जीडीपी गैप) के 3 प्रतिशत बिंदु पर सेट की जाए, बशर्ते जीएनपीए के साथ इसका संबंध अहम हो और ऊपरी सीमा (एच) ऋण-जीडीपी अंतराल के 15 प्रतिशत बिंदु पर रखी जाए।
- सीसीसीबी दोनों सीमाओं के दायरे में (3 और 15 प्रतिशत के बीच) अंतराल (गैप) की स्थिति के आधार पर बैंक के जोखिम भारित औसत (आरडबल्यूए) के 0 से 2.5 प्रतिशत तक रैखिक (लीनीयर) रूप से बढ़ेगी। तथापि, यदि गैप एच से अधिक होता है, तो बफ़र आरडबल्यूए के 2.5 प्रतिशत पर रहेगा, और यदि अंतराल (गैप) एल के नीचे चला जाता है तो बफर की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी।
- पूरक संकेतकों में तीन वर्षों की गतिशिल अवधि का वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात, औद्योगिक परिदृश्य आकलन सूचकांक और ब्याज कवरेज अनुपात शामिल होंगे। इन परिवर्तियों को ऋण-जमा अंतराल के साथ उनके सह-संबंधों सहित देखना होगा।
- सीसीसीबी का निर्णय 4-तिमाहियों का समय हाथ में रखते हुए घोषित किया जा सकता है और बफ़र को सक्रिय करते समय या एडजस्ट करते समय संकेतकों के मामले में रिज़र्व बैंक अपने विवेकाधिकार का उपयोग कर सकता है। इस ढाँचे को भारत में क्षेत्रवार तरीके के साथ काम में लाया जाए जिसका पिछले कुछ समय से भारत में सफलतापूर्वक प्रयोग हुआ है। भारत में ऑपरेट कर रहे सभी बैंकों के लिए सीसीसीबी भारत में एकल आधार पर और समेकित आधार पर भी मेंटेन किया जाएगा।
- सीसीसीबी को सक्रिय करने के लिए जिन इंडिकेटर्स का प्रयोग किया जाता है, उन्हीं के प्रयोग से सीसीसीबी के रिलीज़ चरण के लिए निर्णय लिया जा सकता है। तथापि, एक सख़्त नियम-आधारित तरीके के बदले, सीसीसीबी के रिलीज़ फेज़ को कार्यान्वित करने के लिए रिज़र्व बैंक को निर्णय व विवेकाधिकार में लचीलापन दिया जा सकता है। साथ ही, पूरी सीसीसीबी तुरंत एक ही समय भी जारी की जा सकती है।.

ड्राफ्ट पर विभिन्न हितधारकों की राय को देखते हुए आवश्यक संशोधन के बाद फाइनल रिपोर्ट रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर रखी जाएगी। ञ्चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर), चलनिधि जोखिम निगरानी साधन और एलसीआर खुलासा मानकोंट पर रिज़र्व बैंक ने 9 जून 2014 को अंतिम दिशानिर्देश जारी किए। इन दिशानिर्देशों में शुरूआत की व्यवस्था, एलसीआर की परिभाषा, उच्च गुणवत्ता की चलनिधि आस्तियां (एचक्यूएलए), चलनिधि जोखिम निगरानी साधन और बीसीबीएस में प्रस्तावित मानकों के अनुसार एलसीआर खुलासा मानकों को शामिल किया गया है। तदनुसार, एलसीआर 01 जनवरी 2015 को शुरू किया जाएगा परंतु न्यूनतम अपेक्षा 60 प्रतिशत पर सेट की जाएगी और समान वार्षिक चरणों में बढ़ाते हुए 01 जनवरी 2019 तक इसे 100 प्रतिशत पर पहुँचाया जाएगा। दिशानिर्देशों में भारतीय वित्तीय बाज़ार में उपलब्ध एचक्यूएलए की रेंज व उनकी क्वालिटी को बीसीबीएस मानक में निर्धारित चलनिधि के साधनों के मुकाबले भी देखा जाता है।

इसे ध्यान में रखकर, एनडीटीएल के 2 प्रतिशत तक सरकारी प्रतिभूतियों(जी-सेक) को लेवल 1 एचक्यूएलए में शामिल करने की अनुमति दी गई है। साथ ही, कवर्ड बॉन्ड्स, निवासी बंधक समर्थित प्रतिभूतियां (आरएमबीएस) और ए+ और बीबीबी- रेटिंग वाली कॉरपोरेट कर्ज प्रतिभूतियां (वाणिज्यिक पत्रों सहित) लेवल 2 एचक्यूएलए में शामिल नहीं हैं, 50 प्रतिशत हेयरकट (मार्जिन) के साथ पात्र कॉमन इक्विटी शेयर्स को लेवल 2बी एचक्यूएलए में शामिल किया जा सकता है। कुछ सैंपल बैंकों की बेसल III चलनिधि अनुपातों की तैयारी का आकलन करने के लिए दिसंबर 2013 में रिज़र्व बैंक द्वारा किया गया मात्रात्मक प्रभाव अध्ययन बताता है कि इन बैंकों का औसत एलसीआर 54 प्रतिशत से 507 प्रतिशत के बीच रहा।

*देशी-प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण बैंकों के लिए ढाँचा (डी-एसआईबी)*

VI.27 दिसंबर 2013 में आम जनता की राय के लिए जारी भारत में डी-एसआईबी ढाँचा के ड्राफ्ट में यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि प्रणालीगत दृष्टि से उच्चतर महत्त्व वाले बैंकों की पूँजी अपेक्षाओं को बढ़ाकर और इन बैंकों पर दूसरे कड़े विनियामक/पर्यवेक्षी उपाय द्वारा भी इनकी असफलता की संभावना कम की जाए। ड्राफ्ट फ्रेमवर्क में रिज़र्व बैंक द्वारा डी-एसआईबी की पहचान की प्रस्तावित विधि और इन बैंकों पर लागू अतिरिक्त कॉमन इक्विटी टीयर 1 पूँजी की मात्रा के बारे में चर्चा की गई है। पहचान की विधि मोटे तौर पर संकेतक-आधारित तरीके (इंडिकेटर बेस्ड एप्रोच) पर आधारित है जो वैश्विक एसआईबी की पहचान के लिए बीसीबीएस द्वारा काम में लाया जाता है। डीएसआईबी को पहचानने के लिए प्रस्तावित इंडिकेटर्स इस प्रकार हैं: आकार, अंतरसंबद्धता, प्रतिस्थापनीयता (सब्स्टीट्यूटेबिलिटी)

**सारणी VI.5: डी-एसआईबी के लिए ड्राफ्ट ढाँचा**

(जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)

| | वर्ग 5 (खाली) | वर्ग 4 | वर्ग 3 | वर्ग 2 | वर्ग 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| अतिरिक्त सीईटी 1 की अपेक्षा | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.2 |

**स्रोत:** दिसंबर 2013 में जारी ड्राफ्ट डी-एसआईबी ढाँचा।

का अभाव और जटिलता, जिसमें कि आकार के लिए अधिक भार होंगे। अंतरसंबद्धता, प्रतिस्थापनीयता और जटिलता संकेतकों को आगे और भी कई संकेतकों में बाँटा गया है। प्रणालीगत महत्त्व के अंकों के आधार पर बैंकों को 4 वर्गों (बकेट) में बाँटा जाएगा (सारणी VI.5)। डी-एसआईबी जिस बकेट में है , उसके अनुसार उस पर अतिरिक्त सीईटी -1 अपेक्षा (जोखिम भारित आस्तियों के 0.2 से 0.8 प्रतिशत के बीच) लागू होगी।

*भारत में बैंकों के बोर्डों के प्रशासन (गवर्नेंस) की समीक्षा*

VI.28 बैंकों में कॉरपोरेट गवर्नेंस के तौर-तरीकों को बेहतर बनाने के प्रयासों के तहत भारत में बैंकों हेतु बोर्ड प्रशासन (गवर्नेंस) मानकों की समीक्षा के लिए रिज़र्व बैंक ने विशेषज्ञों की एक समिति (अध्यक्ष: डॉ पी.जे. नायक) बनाई। समिति (मई 2014) के मुख्य सुझाव: (i) दुहरे विनियमन (वित्त मंत्रालय और रिज़र्व बैंक द्वारा), बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति के तौर-तरीकों जैसी बाधाओं को हटाना (ii) पीएसबी में बोर्डों को पूरी तरह अधिकार देना (iii) एक स्वायत्त बैंक निवेश कंपनी (बीआईसी) का गठन जिसके पास बैंकों की इक्विटी हिस्सेदारी (स्टेक) हो (iv) उपर्युक्त की ओर तीन चरणों में बढ़ा जाए।

VI.29 अन्य सुझाव इस प्रकार हैं: पीएसबी के बोर्ड में रिज़र्व बैंक के नामिती वापस ले लिए जाएं तथा सीएमडी के पदों का कार्यकारी एमडी और गैर-कार्यकारी (नॉन-एक्जिक्यूटिव) अध्यक्ष में बँटवारा; प्राधिकृत बैंक निवेशकों (एबीआई) के नाम से बैंक में निवेशकों के एक निर्दिष्ट वर्ग का निर्माण; प्रवर्तक निवेशकों के लिए हिस्सेदारी पर अधिकतम सीमा 25 प्रतिशत तक बढ़ाई जाए; प्राइवेट इक्विटी फंड और सरकारी वेल्थ फंड्स को दबावग्रस्त बैंकों में 40 प्रतिशत तक की नियंत्रक हिस्सेदारी लेने की अनुमति और मताधिकार (वोटिंग राइट्स) के लिए सीमा बढ़ाकर 26 प्रतिशत किया जाना। बैंकों, भारतीय बैंक संघ और जनता से प्राप्त अभिमतों को ध्यान में रखते हुए समिति की सिफारिशों की जांच की जा रही है।

*निजी क्षेत्र में नए बैंकों का लाइसेंसीकरण*

VI.30 निजी क्षेत्र में नए बैंकों के लाइसेंसीकरण के संबंध में 22 फरवरी 2013 को जारी दिशा-निर्देशों के तहत अप्रैल 2014 में दो नए आवेदकों को बैंक स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन दिया गया। इस संबंध में आगे, रिज़र्व बैंक इस लाइसेंसीकरण का प्रयोग करके दिशा-निर्देशों को समुचित रूप से संशोधित करना और अधिक नियमित रूप से लाइसेंस देना चाहता है, अर्थात् लगभग आवश्यकता पर'। 'भारत में बैंकिंग की संरचना - भावी मार्ग' पर चर्चा पत्र के आधार पर 'भुगतान बैंक' और 'छोटे बैंकों' हेतु ड्राफ्ट दिशानिर्देश जुलाई में रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर रखे गए।

## पर्यवेक्षी प्रयास

*जोखिम आधारित पर्यवेक्षण - प्रारंभिक अनुभव और आगे की राह*

VI.31 बीएफएस निदेशों के अनुसार, 2013-14 में शुरुआत करते हुए 28 बैंकों को आरबीएस ढाँचे (एसपीएआरसी - जोखिम व पूँजी के आकलन पर्यवेक्षण कार्यक्रम) के तहत आकलित किया गया। इन बैंकों में बैंकिंग क्षेत्र की लगभग 60 प्रतिशत आस्ति व देयताएं आ जाती हैं और लगभग हर प्रकार के बैंक (स्वामित्व के आधार पर) कवर हो जाते हैं। एसपीएआरसी फ्रेमवर्क पहले के अनुपालन-मुखी और समय-विशेष में प्रदर्शन आधारित आकलनों से अलग है जो सीएएमईएलएस और सीएएलसीएस के तहत किए जाते थे।

VI.32 एसपीएआरसी का डिजाइन वर्तमान और भावी जोखिमों को आँक सकता है जिससे किसी बैंक या प्रणाली में बढ़ रही समस्याओं को पहचाना जा सके और समय पर हस्तक्षेप किया जा सके। एसपीएआरसी के तहत पर्यवेक्षण की निरंतरता से बैंकों व पर्यवेक्षकों में आदान-प्रदान लगातार बना रहता है न कि आवधिक बैठकों/निरीक्षणों तक सीमित। एसपीएआरसी ढांचे को इस प्रकार से बनाया गया है कि उसमें परोक्ष (आफ-साइट) आकलन, निगरानी और पर्यवेक्षण कार्य अधिक किया जा सके, साथ ही निर्दिष्ट चिंताओं व जोखिम क्षेत्रों में

प्रत्यक्ष निरीक्षणों (ऑन-साइट इन्सपेक्शन्स) पर फोकस किया जा सके।

*विदेशी (क्रॉस-बॉर्डर) पर्यवेक्षण और सहयोग*

VI.33 वर्तमान देशी कानूनी प्रावधानों और बीसीबीएस सिद्धातों के तहत प्रभावी विदेशी पर्यवेक्षण और सहयोग के लिए रिज़र्व बैंक विदेशी पर्यवेक्षकों के साथ द्विपक्षीय सहमति ज्ञापन (एमओयू) के तहत कार्य कर रहा है। विदेशों में जहाँ भारतीय बैंक कार्य रहे हैं वहाँ एमओयू के रास्ते रिज़र्व बैंक ने पर्यवेक्षी सूचना शेयर करने और सहयोग में काफी प्रगति की है।

*पर्यवेक्षी कॉलेजों की स्थापना*

VI.34 विदेशी (क्रॉस-बॉर्डर) समेकित पर्यवेक्षण में उस देश के घरेलू पर्यवेक्षकों व संबंधित अन्य पर्यवेक्षकों, मुख्यतः मेजबान (होस्ट) बैंकिंग पर्यवेक्षकों के बीच सहयोग व सूचनाओं के आदान-प्रदान की जरूरत होती है। भारत में ऑपरेट कर रहे विदेशी बैंकों के अपने देश के/आंतरिक विनियामकों (होम रेग्यूलेटर्स) द्वारा संचालित पर्यवेक्षी कॉलेजों में रिज़र्व बैंक सक्रियता से हिस्सा लेता रहा है। देशी/घरेलू पर्यवेक्षक (होम कंट्री सुपरवाइज़र) की अपनी भूमिका में रिज़र्व बैंक ने फरवरी 2014 में बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए पर्यवेक्षी कॉलेजों की शुरूआत की। ये उनके अतिरिक्त हैं जो भारतीय स्टेट बैंक और आईसीआईसीआई बैंक लि. के लिए पहले स्थापित किए गए हैं। भारतीय बैंकों के अहम और बढ़ते विदेशी कार्य-कलाप को देखते हुए संभावना है कि ये पर्यवेक्षी कॉलेज समेकित पर्यवेक्षण के प्रमुख साधन के रूप में उभरेंगे।

*भारतीय बैंकों की विदेश स्थित शाखाओं का निरीक्षण*

VI.35 भारतीय बैंकों के वैश्विक ऑपरेशन्स 54 देशों में हैं। विदेश स्थित शाखाओं की वित्तीय स्थिति, प्रणालियों व नियंत्रण का आकलन करने के लिए 2012-13 में 5 क्षेत्राधिकारों के 8 बैंकों का निरीक्षण किया गया जिसमें भारतीय बैंकों की विदेश स्थित कुल आस्तियों का लगभग 60 प्रतिशत तक कवर हो जाता है। 2013-14 में 6 क्षेत्राधिकारों में स्थित 6 बैंकों का निरीक्षण किया गया जिनके तहत कुल विदेशी आस्तियों की और 20 प्रतिशत आस्तियाँ कवर होती हैं ।

*केवाईसी/एएमएल मानकों के पालन की 36 बैंकों में विषयगत समीक्षा (थीमैटिक रिव्यू)*

VI.36 एक ऑनलाइन मीडिया पोर्टल द्वारा बैंकों पर लगाए गए आरोपों को देखते हुए 36 बैंकों (विदेशी, प्राइवेट सेक्टर एवं पब्लिक सेक्टर) में अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)/धन-शोधन निवारण (एएलएम) मानकों के पालन की विषयगत समीक्षा दो चरणों में की गई। अप्रैल 2013 में की गई पहली समीक्षा में 29 बैंक और मई 2013 में की गई दूसरी समीक्षा में 7 बैंक लिए गए। अनुवर्ती कार्रवाई क्रमशः जुलाई और अगस्त 2013 में पूरी की गई। 36 में से 28 बैंकों पर मौद्रिक हर्जाना लगाया गया और शेष को सतर्कता पत्र जारी किए गए।

*एक्सबीआरएल परिवेश में ऑसमॉस प्रणाली का विकास*

VI.37 विनियामक परिवर्तनों व उभरती पर्यवेक्षी आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ-साथ प्रयोग-सुगमता को बढ़ावा देने व तकनीकी प्रगति के साथ चलने के लिए 1997 में गठित परोक्ष निगरानी और चौकसी प्रणाली (ऑसमॉस) को फिर से विकसित किया जा रहा है। यद्यपि ऑसमॉस से जेनरेट की गई विवरणियों के क्षेत्र और दायरे की आवधिक समीक्षा की गई है और उसे नियमित अपडेट किया गया है, डेटा रिपोर्टिंग के लिए एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज (एक्सबीआरएल) परिवेश को ऑसमॉस व दूसरे रिटर्न्स में शामिल करना होगा ताकि पर्यवेक्षण सुदृढ़ हो।

## शहरी सहकारी बैंक

*वित्तीय रूप से स्वस्थ और सुप्रबंधित कहे जाने के लिए संशोधित मानदंड*

VI.38 शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के क्षेत्र में प्रदर्शन संकेतकों में उन्नति को देखते हुए उनके लिए वित्तीय रूप से स्वस्थ और सुप्रबंधित (एफएसडब्ल्यूएम) के रूप में वर्गीकृत होने के मानदंडों में 1 अक्तूबर 2013 से बदलाव किया गया। बदलाव यह था कि अन्य मानकों के अलावा 7 प्रतिशत से कम सकल एनपीए वाले यूसीबी जिनका निवल एनपीए 3 प्रतिशत से अधिक न हो, वे एफएसडबल्यूएम के रूप में जाने जाएंगे जबकि इस सबंध में पहले 5 प्रतिशत निवल एनपीए की शर्त थी।

*प्रकटन अपेक्षाओं को टीयर I यूसीबी पर भी लागू करना*

VI.39 टीयर II यूसीबी को कुछ सूचनाएं अपने तुलन-पत्र में 'नोट्स ऑन अकाउंट्स' के रूप में और कई दूसरे खुलासों में बताने को कहा गया था। 31 मार्च 2014 से प्रकटन अपेक्षाओं को टीयर I यूसीबी पर भी लागू कर दिया गया है।

*प्राथमिक यूसीबी को आरबीआई एक्ट, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया जाना*

VI.40 भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम (आरबीआई एक्ट) 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किए जाने के लिए शहरी सहकारी बैंकों के आवेदन कुछ मानदंडों के पूरा करने पर स्वीकार किए जाएंगे जैसे मांग व मीयादी देयताएं लगातार एक वर्ष ' 7.5 बिलियन से कम न हों; न्यूनतम 12 प्रतिशत का सीआरएआर; विगत 3 वर्षों में लगातार निवल लाभ (नेट प्रॉफिट); सकल (ग्रॉस) एनपीए 5 प्रतिशत या उससे कम; सीआरआर/एसएलआर अपेक्षाओं का अनुपालन; और कोई बड़ी विनियामक व पर्यवेक्षी चिंता न हो।

*कोर बैंकिंग सुविधा (सीबीएस) को अपनाना*

VI.41 मार्च 2014 के अंत की स्थिति के अनुसार, 1,589 यूसीबी में से 510 ने सीबीएस पूर्णतः और 465 ने अंशतः लागू किया था। टीयर I यूसीबी (इकाई बैंकों को छोड़कर) हेतु सीबीएस लागू करने की संशोधित समयसीमा 30 जून 2014 है; यूनिट बैंकों के लिए 31 दिसंबर 2014 है जबकि टीयर II यूसीबी के मामले में कोई बदलाव नहीं है।

*प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को अरक्षित ऋण देने के लिए सशर्त अनुमोदन*

VI.42 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ऋण दिए जाने को बढ़ावा देने के लिए और वित्तीय समावेश के उद्देश्य को गति देने के लिए, कुछ शर्तों को पूरा करने वाले यूसीबी को रिज़र्व बैंक के अनुमोदन से कुल आस्तियों के 15 प्रतिशत तक उत्पादक कार्यों के लिए ' 10,000 तक का अरक्षित ऋण देने की अनुमति है। यूसीबी द्वारा दिए गए ऐसे ऋणों को कुल आस्तियों के 10 प्रतिशत के अरक्षित ऋण पर कुल सीमा से छूट दी गई है।

*बाजार परिचालनों से संबंधित चुनिंदा दिशानिर्देश*

VI.43 सुप्रबंधित यूसीबी को रिज़र्व बैंक के अनुमोदन से सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) की अंतर्दिवसीय मंदड़िया बिक्री (इंट्रा-डे शॉर्ट सेलिंग) की अनुमति है। इंट्रा-डे शॉर्ट सेल्स से जी-सेक मार्केट को अधिक चलनिधि (लिक्विडिटी) मिलेगी और सामान्य शॉर्ट सेल की तुलना में यह कम जोखिम वाला भी है जहाँ शॉर्ट सेल पोजीशन को अगले दिन तक ले जाना होता है जिससे यूसीबी को मार्केट रिस्क की संभावना बनती है। कुछ यूसीबी को मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनियों (एमआईसी) जैसे क्लीयरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (सीसीआईएल), नेशनल पेमेंट्स

**सारणी VI.6: यूसीबी के विलय/अधिग्रहण में राज्य-वार प्रगति**

| राज्य | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| महाराष्ट्र | 2 | 12 | 14 | 16 | 6 | 7 | 8 | 1 | 1 | 67 |
| गुजरात | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 25 |
| आंध्र प्रदेश | | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | | | 11 |
| कर्नाटक | | | 2 | 1 | | | | | | 03 |
| पंजाब | | 1 | | | | | | | | 1 |
| उत्तराखंड | | | 1 | 1 | | | | | | 2 |
| छत्तीसगढ़ | | | | 1 | | 1 | | | | 2 |
| राजस्थान | | | | | 2 | | 1 | | | 3 |
| मध्य प्रदेश | | | | | | | | | | |
| उत्तर प्रदेश | | | | | | 1 | | 1 | | 2 |
| **कुल** | **4** | **16** | **26** | **22** | **13** | **13** | **14** | **3** | **5** | **116** |

कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआईएल) और विश्वव्यापी वित्तीय दूरसंचार सोसायटी (स्विफ्ट) के शेयरों में निवेश की अनुमति दी गई है।

*विलयन/अधिग्रहण द्वारा यूसीबी का समेकन*

VI.44 कमज़ोर इकाइयों का मजबूत के साथ विलय करके यूसीबी के कॉन्सोलिडेशन के बारे में रिज़र्व बैंक को मार्च 2014 तक 183 प्रस्ताव प्राप्त हुए और इसने 134 अनापत्ति प्रमाणपत्र/स्वीकृतियां जारी कीं जिसमें 116 को सबंधित आरसीएस/सीआरसीएस द्वारा विलय के लिए अधिसूचित (नोटिफाइ) किया गया है।

VI.45 सर्वाधिक विलय महाराष्ट्र में, उसके बाद गुजरात और आंध्र प्रदेश (सारणी VI.6) में हुए । यूसीबी के एसेट्स और लायबिलिटीज़ को वाणिज्यिक बैंकों को ट्रांसफर करने के दिशा-निर्देश फरवरी 2010 में जारी किए गए।

## ग्रामीण सहकारिताएं और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

*राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंक लाइसेंसों की स्थिति*

VI.46 वित्तीय क्षेत्र आकलन समिति (सीएफएसए) (अध्यक्षः डॉ राकेश मोहन) ने 2009 में सुझाव दिया था कि बिना लाइसेंस वाले सहकारी बैंकों को बिना उथल-पुथल के क्रमशः 31 मार्च 2012 तक हटा दिया जाए। तथापि बिना लाइसेंस के काम कर रहे सहकारी बैंकों की बड़ी संख्या (31 एसटीसीबी में से 17 और 371 डीसीसीबी में से 296) को देखते हुए रिज़र्व बैंक ने लाइसेंसीकरण मानकों को सरल किया। तदनुसार, लाइसेंसीकरण के लिए संशोधित मानकों में निम्नलिखित शामिल हैंः (i) 4 प्रतिशत का न्यूनतम सीआरएआर, और (ii) पिछले एक वर्ष में सीआरआर/एसएलआर में चूक (डिफॉल्ट) शून्य/दुर्लभ। मार्च 2014 के अंत में बिना लाइसेंस के 23 डीसीसीबी (उत्तर प्रदेश-16, महाराष्ट्र -3, जम्मू और कश्मीर -3 और पश्चिम बंगाल -1) रह गए हैं तथा रिज़र्व बैंक उनके विरुद्ध उचित विनियामक कार्रवाई कर रहा है।

*एसटीसीबी/डीसीसीबी के लिए न्यूनतम सीआरएआर का निर्धारण*

VI.47 यद्यपि सीआरएआर ढाँचा एसटीसीबी/डीसीसीबी के लिए दिसंबर 2007 में जारी किया गया, सीआरएआर के लिए कोई न्यूनतम स्तर नहीं तय किया गया था। बीएफएस के अनुमोदन के आधार पर एसटीसीबी और डीसीसीबी के लिए 9 प्रतिशत का न्यूनतम सीआरएआर निर्धारित किया गया है। अविरत आधार पर 31 मार्च 2015 तक 7 प्रतिशत का सीआरएआर और 31 मार्च 2017 तक 9 प्रतिशत हासिल करने की कार्ययोजना भी बनाई गई है। चूँकि एसटीसीबी/डीसीसीबी के पास अतिरिक्त पूँजी संसाधन जुटाने के अवसर सीमित हैं, उन्हें रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से दीर्घावधि जमाराशि (गौण) और नवोन्मेषी स्थायी कर्ज लिखत (आईपीडीआई) जारी करने की अनुमति दी गई है।

*कोर बैंकिंग साल्यूशन (सीबीएस) की ओर प्रस्थान*

VI.48 जून 2014 के अंत तक 32 राज्य सहकारी बैंकों में से, 30 ने सीबीएस को पूरी तरह और 2 ने आंशिक रूप से लागू कर दिया है। 371 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों में से, 317 ने सीबीएस पूरी तरह और 31 ने आंशिक रूप से लागू कर दिया है जबकि 23 बैंकों के पास लाइसेंस नहीं हैं। राज्य सहकारी बैंकों और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को सीबीएस पूरा करने के लिए 30 सितंबर 2014 तक का समय दिया गया है।

*क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) का समामेलन*

VI.49 1 अक्तूबर 2012 से प्रारंभ हो रहे समामेलन के वर्तमान चरण में, विभिन्न स्पॉन्सर बैंकों के तहत एक राज्य में भौगोलिक रूप से समीपस्थ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को समामेलित (अमेलगमेट) किया जाना है ताकि मध्यम आकार के राज्यों में केवल एक आरआरबी हो और बड़े राज्यों में 2 या 3 आरआरबी। तदनुसार, 12 राज्यों में 44 आरआरबी को समामेलित करके 18 कर दिया गया जिससे उनकी प्रभावी संख्या घटकर 56 रह गई है। समामेलन के पश्चात आरबीआई एक्ट, 1934 की दूसरी अनुसूची में 13 आरआरबी रह गए हैं जबकि पहले के 31 बाहर कर दिए गए हैं।

*क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के लिए 9 प्रतिशत के न्यूनतम सीआरएआर का निर्धारण*

VI.50 जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूँजी अनुपात (सीआरएआर) बेहतर करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के पुनःपूँजीकरण पर बनी समिति (अध्यक्षः डॉ के. सी. चक्रवर्ती) के सुझावों तथा कमज़ोर आरआरबी के समामेलन और पुनः पूँजीकरण के बाद 31 मार्च 2013

की स्थिति के अनुसार आरआरबी के सीआरएआर स्थिति की समीक्षा की गई। सभी आरआरबी के लिए 31 मार्च 2014 से अविरत आधार पर 9 प्रतिशत का न्यूनतम सीआरएआर तय किया गया। 31 मार्च 2014 के अनुसार, ₹21 बिलियन तक की पूँजी का प्रयोग करते हुए 38 आरआरबी का पूरी तरह पुनः पूँजीकरण हो गया है।

*आरआरबी द्वारा निवेश के वर्गीकरण और मूल्यांकन का दिशा-निर्देश*

VI.51 31 मार्च 2013 तक एसएलआर सिक्यूरिटीज़ के संबंध में मार्क-टू-मार्केट (एमटीएम) मानकों के प्रयोग से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छूट दी गई थी और अपने पूरे एसएलआर निवेश को उन्हें 'परिपक्वता तकधारित' (एचटीएम) वर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत करने की अनुमति थी। तथापि, इसकी समीक्षा के बाद, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को एचटीएम वर्ग में धारित मांग व मीयादी देयताओं (डीटीएल) के 24.5 प्रतिशत से अधिक एसएलआर प्रतिभूतियों के संबंध में 1 अप्रैल 2014 से एमटीएम मानक लागू करने और अपने निवेश को इन तीन वर्गों में वर्गीकृत करने को कहा गया: एचटीएम, ट्रेडिंग के लिए धारित (एचएफटी) और बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस)।

## निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम

VI.52 निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) रिज़र्व बैंक की एक पूर्णतः स्वाधिकृत सहायक कंपनी है जो भारत में कार्यरत सहकारी बैंकों, एलएबी और आरआरबी समेत सभी बैंकों को जमाराशि बीमा प्रदान करती है। मार्च 2014 के अंत में रजिस्टर्ड बीमाकृत बैंकों की संख्या 2,145 थी जिसमें 89 वाणिज्यिक बैंक, 58 आरआरबी, 4 एलएबी और 1,994 सहकारी बैंक थे। भारत में जमाराशि बीमा की वर्तमान सीमा ₹100,000 है। मार्च 2014 के अंत में, खातों की कुल संख्या का 92 प्रतिशत (1,370 मिलियन) डीआईसीजीसी द्वारा पूर्णतः रक्षित था, जबकि इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय मानक[1] 80 प्रतिशत का है। राशि के हिसाब से ₹24 ट्रिलियन की बीमाकृत जमाराशि कुल निर्धारणीय जमाराशियों का 31 प्रतिशत है जबकि इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय मानक 20 से 40 प्रतिशत है। वर्तमान स्तर पर बीमा कवर प्रति व्यक्ति आय का 1.3 गुना निकलकर आता है।

VI.53 2013-14 के दौरान, डीआईसीजीसी द्वारा निपटाए (सेटल किए) गए कुल दावे (क्लेम्स) गत वर्ष के लगभग आधे (51 सहकारी बैंकों से संबंधित ₹1 बिलियन) थे। बैंकों के जमाकर्ताओं के दावों के निपटारे के लिए परिसमापन (लिक्विडेशन), पुनर्रचना (रिकन्स्ट्रक्शन)/समामेलन में लिया गया बीमा जमाराशि फ़ंड (डीआईएफ) 31 मार्च 2014 को ₹406 बिलियन का रहा जो 1.7 प्रतिशत का आरक्षित अनुपात (डीआईएफ/बीमाकृत जमाराशियां) देता है। टैक्स निकालने के बाद डीआईसीजीसी के वार्षिक सरप्लस के अंतरण (ट्रांसफर) से डीआईएफ संचित होता है।

*मूलभूत सिद्धांतों के संशोधन पर आईएडीआई संचालन समिति (स्टीयरिंग कमीटी) की बैठक*

VI.54 प्रभावी जमा बीमा प्रणाली के मूल सिद्धांत जमा बीमाकर्ताओं के अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा जून 2009 में जारी किए गए। मूलभूत सिद्धांतों की समीक्षा करने व इन्हें अपडेट करने के लिए और संशोधनों का एक प्रस्तावित सेट विकसित करने के लिए, आईडीएआई ने फरवरी 2013 में एक आंतरिक संचालन समिति बनाई। मूलभूत सिद्धांतों का अंतिम संशोधित सेट शीघ्र ही जारी किया जाएगा।

## गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां

*जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा*

VI.55 जमा देयताओं का समय से भुगतान सुनिश्चित करने के लिए जमाराशि लेने वाली सभी कंपनियों का विनियमन रिज़र्व बैंक ने कड़ाई से किया है और इसमें काफी हद तक सफल भी रहा है। तथापि, हाल में घटित 'शारदा घोटाला' जैसी घटनाओं ने रेखांकित किया है कि विनियमित इकाइयों पर महज विनियामक और पर्यवेक्षी दृष्टि से सीमित न रहकर, इसके पार जाने व अविनियमित क्षेत्र में भ्रष्टाचार पर भी ध्यान देने की जरूरत है। गैर-बैंकिंग क्षेत्र में बहु-विनियामक व्यवस्था को देखते हुए रिज़र्व बैंक ने लोगों में जागरुकता लाने तथा विधायी सुधारों में स्पष्टता लाने व इनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कई प्रयास किए हैं।

[1] मई 2002 में बेसल, स्विटजरलैंड में जमा बीमाकर्ताओं के अंतर्राष्ट्रीय संघ के प्रथम वार्षिक सम्मेलन में व्यवहारिक नियम के रूप में स्वीकृत।

VI.56 इन दुहरे उद्देश्यों को हासिल करने के लिए रिज़र्व बैंक ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कदम उठाए हैं : जन जागरुकता बढ़ाने के लिए उपभोक्ता मामले व कंपनी कार्य मंत्रालय के साथ मास मीडिया में संयुक्त विज्ञापन अभियान, टाउन हाल कार्यक्रमों का आयोजन और देश व्यापी निवेशक जागरुकता अभियान, विशेषतः टीयर II और III शहरों में, राज्य स्तरीय समन्वय समितियों के माध्यम से वर्तमान अंतर-विनियामक समन्वय प्रणाली को मजबूत बनाना ताकि भ्रष्टाचार से निपटने हेतु समन्वित कार्रवाई के विकल्प सहित वर्तमान कानून बेहतर व प्रभावी ढंग से लागू हों। रिज़र्व बैंक ने सभी राज्य सरकारों को भी लिखा है कि वे जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के अधिनियम (प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉज़िटर्स ऐक्ट) को लागू करें जिसमें जमाराशियों को अनधिकृत रूप से स्वीकार करने वालों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई की व्यवस्था है।

*अपरिवर्तनीय (नॉन-कन्वर्टिबल) डिबेंचरों (एनसीडी) की निजी तौर पर बिक्री (प्राइवेट प्लेसमेंट) के संबंध में दिशानिर्देश*

VI.57 हाल में रिज़र्व बैंक ने गौर किया है कि एनबीएफसी द्वारा बड़े पैमाने पर निर्गम, प्रायः खुदरा निवेशकों द्वारा धड़ल्ले से, अपरिवर्तनीय डिबेंचरों (एनसीडी) के माध्यम से हो रहा है जिसकी विशेषताएं जनता की जमाराशियों (पब्लिक डिपॉज़िट्स) जैसी हैं। जहाँ तक निजी तौर पर बिक्री (प्राइवेट प्लेसमेंट) का संबंध है, एनबीएफसी को दूसरी वित्तीय इकाइयों की बराबरी पर लाने के लिए, उन्हें यह कहा गया है कि : (i) एनसीडी के प्राइवेट प्लेसमेंट के ग्राहकों की अधिकतम संख्या सीमित करें (ii) संसाधन योजना हेतु अपने बोर्ड की अनुमोदित नीति लागू करें जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ योजना का क्षेत्र और निजी बिक्री (प्राइवेट प्लेसमेंट) की आवधिकता को कवर किया जाए, और (iii) एकल निवेशक के लिए खरीद (सब्सक्रिप्शन) की न्यूनतम राशि ₹2.5 मिलियन पर और उसके बाद ₹1 मिलियन के गुणजों में निर्धारित की गई है।

*एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा ऋण के मूल्य निर्धारण में संशोधन*

VI.58 एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा लगाई गई संशोधित ब्याज दरें (2014-15 की पहली तिमाही से लागू) में वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार फंड की लागत और मार्जिन का जोड़ होंगी या एसेट्स के लिहाज से 5 सबसे बड़े वाणिज्यिक बैंकों के औसत बेस रेट का 2.75 के फैक्टर से प्राप्त गुणनफल, जो भी कमतर हो। पिछली तिमाही के अंतिम दिन रिज़र्व बैंक द्वारा घोषित 5 सबसे बड़े वाणिज्यिक बैंकों (घरेलू एसेट्स के लिहाज से) के बेस रेट्स का औसत आगामी तिमाही की ब्याज दरों का निर्धारण करेगा।

*वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना*

VI.59 वाणिज्यिक बैंकों के विपरीत, एनबीएफसी की समग्र देयताओं में जमाराशियां एक बहुत छोटा घटक हैं क्योंकि वे अपने फंडिंग की जरूरतों के लिए बैंक उधारियों और पूँजी/मुद्रा बाजारों सहित मुख्यतः संस्थागत स्त्रोतों पर निर्भर हैं। इस क्षेत्र से वित्तीय स्थिरता को होने वाले जोखिम की जड़ एनबीएफसी और अन्य वित्तीय मध्यस्थों व उनकी फंडिंग निर्भरताओं के बीच की अंतर-संबद्धताएं हैं। तदनुसार, विनियामक दिशा-निर्देशों का रुख अधिक लीवरेज को हतोत्साहित करने और पर्याप्त पूँजी बफर रखने की ओर होता है ताकि उनके बैलेंस शीट पर पड़ने वाला कोई भी दबाव झेल लिया जाए न कि वित्तीय प्रणाली में संचरित हो जाए। 2013-14 में जारी कुछ विनियामक व पर्यवेक्षी अनुदेश निम्नलिखित पैराग्राफों में दिए जा रहे हैं:

*एकल उत्पाद - स्वर्ण आभूषण की प्रतिभूति पर उधार दिया जाना :*

VI.60 स्वर्ण आयात और एनबीएफसी के स्वर्ण ऋणों से संबंधित मामलों का अध्ययन करने के लिए गठित कार्यदल (अध्यक्षः श्री के.यू.बी. राव) के सुझावों के बाद निम्नलिखित मुद्दों पर सभी एनबीएफसी (पीडी को छोड़कर) को दिशानिर्देश जारी किए गए। 08 जनवरी 2014 से स्वर्ण आभूषणों के संपार्श्विक पर कर्ज के लिए एलटीवी अनुपात को 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर दिया गया।

*एनबीएफसी द्वारा अग्रिमों की पुनर्रचना:*

VI.61 जैसा कि 2013-14 (अक्तूबर 29, 2013) की मौद्रिक नीति की दूसरी तिमाही समीक्षा में कहा गया था, बैंकों व वित्तीय संस्थाओं द्वारा अग्रिमों की पुनर्रचना पर विवेकसम्मत दिशानिर्देशों की समीक्षा के लिए गठित कार्यदल (अध्यक्षः श्री बी. महापात्र) के सुझावों के अनुसार एनबीएफसी द्वारा अग्रिमों की

पुनर्रचना पर वर्तमान अनुदेशों की समीक्षा की गई है। तदनुसार, एक निश्चित अवधि तक वाणिज्य परिचालनों की तारीख बढ़ा देने भर से इन्फ्रा, नॉन-इन्फ्रा और वाणिज्यिक रियल इस्टेट प्रोजेक्टों की पुनर्रचना (रिस्ट्रक्चरिंग) नहीं हो जाती, अलबत्ता इसमें सभी नए ऋणों और ऋणों के स्टॉक के लिए प्रावधानीकरण मानक लागू होंगे। बुनियादी ढाँचे और कुछ विशेष शर्तों के तहत बुनियादी ढाँचे से इतर प्रोजेक्ट ऋणों को छोड़कर एसएमई ऋण पुनर्रचना व्यवस्था सहित कंपनी कर्ज पुनर्रचना (सीडीआर) और संघीय मामलों के लिए एक विशेष आस्ति वर्गीकरण उपलब्ध किया जाएगा। 1 अप्रैल 2015 से विशेष आस्ति वर्गीकरण लाभ को हटा लिया जाएगा, सिवाय बुनियादी ढाँचे और बुनियादी ढाँचे से इतर प्रोजेक्ट ऋणों के संबंध में भी डीसीसीओ में परिवर्तन से जुड़े प्रावधानों पर। सीआरआईएलसी के माध्यम से वित्तीय समस्या की पूर्व पहचान को संस्थागत रूप दे दिया गया है (बॉक्स VI.2)।

*प्रतिभूतिकरण लेन-देन में ऋण वृद्धि:*

VI.62 ओरिजिनेटर्स को कुछ पूँजीगत राहत देने के लिए बैंकों और एनबीएफसी को लेन-देन के कुल प्रदर्शन और कारकों, जैसे प्रतिभूतिकृत आस्तियों की क्रेडिट क्वालिटी, समूह (पूल) की विशेषताएं और संबंधित एसेट्स की प्रकृति के आधार पर, सिक्यूरिटी लेन-देन में पुनर्निर्धारण करके ऋण वृद्धि की अनुमति दी गई है।

*चूककर्ताओं द्वारा एससी/आरसी से आस्तियों की वापसी-खरीद (बाइ-बैक) और एससी/आरसी द्वारा स्पॉन्सर बैंकों से आस्तियों का अधिग्रहण (एक्विजीशन):*

VI.63 जिन एससी/आरसी को अपने स्पॉन्सर बैंकों से द्विपक्षीय आधार पर कोई एनपीए अधिग्रहित करने की अनुमति नहीं थी, वे अब ऐसा कर सकते हैं परंतु केवल स्पॉन्सर बैंकों द्वारा संचालित नीलामियों में भाग लेकर ही। चूक करने वाली कंपनी/उधारकर्ताओं को एससी/आरसी से अपने एसेट्स वापस खरीदने (बाइ बैक) की अनुमति है, बशर्ते बाइ बैक से कानूनी खर्च व समय की बचत होती हो, आस्तियों के मूल्य में और ह्रास रुकता हो तथा समाधान प्रक्रिया में सहायता मिलती हो।

*छोटे कारोबारों और निम्न आय वाले हाउसहोल्ड्स के लिए व्यापक वित्तीय सेवाओं पर समिति*

VI.64 समिति (अध्यक्षः नचिकेत मोर), ने एनबीएफसी के संबंध में कई सुझाव (देखें बॉक्स IV.2) दिए हैं। इस क्षेत्र में अधिक इकाइयों को प्रवेश की अनुमति देने पर विचार करने से पूर्व आरबीआई ऐक्ट, 1934 की धारा 45आई(ए) के तहत एनबीएफआई कारोबार संचालित करने जा रही कंपनियों के पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) जारी करने के कार्य को एक वर्ष तक (अप्रैल 2014 से) प्रास्थगित रखने का निर्णय लिया गया था। इसका अपवाद वे सीओआर आवेदन थे जो रिज़र्व बैंक को 31 मार्च 2014 को या उससे पहले प्राप्त हो गए थे, प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण भावी कोर निवेश कंपनियां (सीआईसी-एनडीएसआई), बुनियादी ढाँचा वित्त कंपनियां (आईएफसी), बुनियादी ढाँचा ऋण निधि कंपनियां (आईडीएफ-एनबीएफसी) और सूक्ष्म वित्त कारोबार (माइक्रो फाइनैंस बिजनेस) संचालित करना चाह रही एनबीएफसी (एनबीएफसी - एमएफआई)।

VI.65 नए बैंकिंग लाइसेंस देने के संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के तहत, गैर-परिचालनीय वित्तीय होल्डिंग कंपनियों (एनओएफएचसी) को एनबीएफसी के एक अलग वर्ग के रूप में अधिसूचित किया गया था। बैंक को और रिज़र्व बैंक द्वारा अथवा वर्तमान विनियामक ढाँचे के तहत संभव अन्य वित्तीय क्षेत्र विनियामकों द्वारा विनियमित अन्य सभी वित्तीय कंपनियों को भी एनओएफएचसी होल्ड करेंगी। .

*जोखिम कम करने वाले अन्य उपाय*

VI.66 एनबीएफसी के लिए 'बुनियादी क्षेत्रको उधार' की वर्तमान परिभाषा को भारत सरकार द्वारा अधिसूचित बुनियादी क्षेत्र के उप-क्षेत्रों की मास्टर लिस्ट के अनुसार बदला गया है। इस क्षेत्र में संस्थाओं की पैठ व भोगौलिक विस्तार को जानने के लिए वर्तमान सभी एनबीएफसी के लिए एक शाखा सूचना विवरणी की शुरुआत की गई है।

VI.67 रिज़र्व बैंक से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर एनबीएफसी 'व्हाइट लेबल एटीएम' लगा सकते हैं। इसमें शामिल तीन मानक ये हैंः लगातार लाभअर्जकता, निरंतर आधार पर अपेक्षित

सीआरएआर का मेंटेनेंस और किसी बड़ी पर्यवेक्षी चिंता का न होना।

VI.68 रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उचित पंजीकरण प्रमाणपत्र के बिना एनबीएफआई कारोबार करने वाली कंपनियों को छाँटने के लिए, तय किया गया कि कंपनी कार्य मंत्रालय (एमसीए) के रिकॉर्ड्स में दर्ज और रिज़र्व बैंक के यहाँ पंजीकृत देश में काम कर रही वित्त कंपनियों की संख्या का पता लगाया जाए। इनमें से कुछ कंपनियों के वित्त के प्रथम दृष्टया विश्लेषण से यह प्रतीत होता है कि रजिस्ट्रेशन के लिए मुख्य कारोबारी मानदंड[2] ये पूरा करते हैं और ऐसी कंपनियों के लिए समुचित कार्रवाई पर विचार किया गया है।

## ग्राहक सेवा

*प्राप्त और निपटाई गई शिकायतें*

VI.69 पूरे देश में बैंकिंग सेवा में उचित तौर-तरीकों और ग्राहकों के साथ उचित व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए, रिज़र्व बैंक ने कई कदम उठाएं हैं। इनमें प्रमुख है बैंकिंग लोकपाल योजना जो बैंक ग्राहकों के लिए मुफ्त और आसान शिकायत निवारण का अवसर देता है। एक ओर जहाँ ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में इसके बारे में जागरुकता बढ़ाने के प्रयास जारी हैं, वहीं गत 2 दशकों से योजना काफी सफल रही है और सालाना 70,000 से अधिक शिकायतों का निवारण हो चुका है (बॉक्स VI.4)।

### बॉक्स VI.4 : बैंकों में शिकायत निवारण प्रणाली और बैंकिंग लोकपाल योजना

बैंकिंग उद्योग में ग्राहक सेवा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग लोकपाल कार्यालय, भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड, बैंकों में बोर्ड की ग्राहक सेवा समितियां, ग्राहक सेवा पर स्थायी समिति, नियंत्रक कार्यालय/शाखा स्तर पर एक ग्राहक सेवा समिति, ग्राहक सेवा के लिए केंद्रीय (नोडल) विभाग/नोडल अधिकारी, शिकायत निवारण कक्ष जैसी संस्थागत व्यवस्थाएं खड़ी की हैं।

व्यवस्था तक ग्राहकों की पहुँच को सुगम बनाने और शिकायतों के त्वरित निपटान के लिए, बैंकों को निम्नलिखत कार्य करने होंगेः (i) अपनी शाखाओं में एक प्रमुख स्थान पर शिकायत रजिस्टर रखें ताकि ग्राहक अपनी शिकायतें दर्ज कर सकें, (ii) यदि शिकायतें पत्र से मिलें तो प्राप्ति-सूचना देने की व्यवस्था हो, (iii) विभिन्न स्तरों पर प्राप्त शिकायतों के निवारण हेतु समय सीमा का निर्धारण हो, (iv) शिकायत निवारण से संबंधित अधिकारी का नाम और संपर्क विवरण को प्रमुखता से दर्शाएं, और (v) बैंक की वेबसाइट के होमपेज पर एक शिकायत फॉर्म रखें।

आंतरिक शिकायत निवारण व्यवस्था पर किसी बैंक की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए, बैंकों से प्राप्त शिकायतों के एक विश्लेषण के साथ शिकायतों की एक समीक्षा अपने बोर्डों/ग्राहक सेवा समितियों को प्रस्तुत करनी होती है। बैंकों को कहा गया है कि उनके बोर्ड ग्राहक सेवा से संबंधित मुद्दों की समीक्षा करने व इन पर विचार करने के लिए अलग से समय दें। बैंकों को यह भी कहा गया है कि विभिन्न ग्राहक-वर्गों के प्रतिनिधियों को लेकर शाखा-स्तरीय ग्राहक सेवा समितियां बनाएं।

**बैंकिंग लोकपाल योजना**

विवादों के निपटारे के लिए शीर्ष स्तर पर निःशुल्क व सुगम वैकल्पिक प्रणाली लाने के लिए, बीआर ऐक्ट, 1949 की धारा 35ए के तहत रिज़र्व बैंक ने जून 1955 में बैंकिंग लोकपाल (बीओ) योजना लागू की जो भारत में 15 बीओ कार्यालयों में कार्य कर रही है। अपनी शुरुआत के बाद से, बदलते बैंकिंग परिदृश्य के अनुसार इस योजना में चार बार (2002, 2006, 2007 और 2009) संशोधन किया गया है।

निम्नलिखित समेत 27 आधारों पर बैंकिंग सेवा में कमी बताते हुए ग्राहक बीओ के पास जा सकते हैंः क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, बैंक व इसके सेल्स एजेंटों द्वारा किए गए सेवा के वादों में कमी, बिना पूर्व सूचना के ग्राहकों पर सर्विस चार्ज लगाना, बैंकों द्वारा अपनाए गए उचित तौर-तरीकों की संहिता को नहीं मानना और ग्राहकों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता की बीसीएसबीआई संहिता का पालन नहीं करना। बीओ योजना भारत में कार्य कर रहे सभी वाणिज्य बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और अनुसूचित प्राथमिक सहकारी

*जारी*

[2] 8 अप्रैल 1999 की हमारी प्रेस रिलीज संख्या 1998-99/1269 के जरिये इस पर विस्तार से बताया गया है।

बैंकों पर लागू है। शिकायतकर्ता अपनी शिकायत किसी भी स्वरूप में और आरबीआई वेबसाइट से ऑनलाइन भी दर्ज कर सकते हैं।

औसतन, बीओ कार्यालय को सालाना 70,000 से अधिक शिकायतें मिलती हैं, मुख्यतः महानगरी(मेट्रो)/शहरी इलाकों से, जहाँ से 2013-14 में कुल में से 72 प्रतिशत शिकायतें प्राप्त हुईं। महानगरी और शहरी इलाकों से अधिक शिकायतों के आने के लिए दिए जाने वाले कुछ कारण ये हैं: अर्ध-शहरी व ग्रामीण इलाकों के मुकाबले बैंकिंग सेवाओं की अधिक उपलब्धता, बैंक के ग्राहकों की वित्तीय साक्षरता व उनकी प्रत्याशा का ऊँचा स्तर तथा इस योजना के बारे में अधिक जागरुकता।

रिज़र्व बैंक और बीओ कार्यालय ग्रामीण व अर्ध-शहरी इलाकों में योजना के बारे में जागरुकता अभियानों/लोकसंपर्क(आउटरीच) गतिविधियों और टाउन हाल कार्यक्रमों द्वारा जागरुकता फैलाने में लगे हुए हैं।

*इंटरसोल प्रभारों में एकरूपता*

VI.70 सीबीएस परिवेश में बैंक की सभी शाखाओं/ सर्विस डिलीवरी लोकेशन्स में ग्राहकों से उचित, भेदभाव रहित और पारदर्शी व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए बैंकों को कहा गया कि वे मूल्य निर्धारण की एक जैसी, सही व पारदर्शी नीति अपनाएं तथा होम-ब्रांच व नॉन-होम ब्रांचों के ग्राहकों के बीच भेदभाव न करें।

*केवाईसी के आवधिक अद्यतनीकरण (अपडेशन) के मानकों का सरलीकरण*

VI.71 बैंकरों/ग्राहकों द्वारा केवाईसी के संबध में व्यक्त की गई व्यावहारिक कठिनाइयों/बाधाओं को देखते हुए केवाईसी मानकों को सरल कर दिया गया है। बार-बार आवधिक अपडेशन के लिए नए केवाईसी कागजातों को लेने/ जमा करने के संबंध में बैंकों को कहा गया कि वे मध्यम व कम जोखिम वाले खातों के लिए केवाईसी की कार्रवाई कम आवृत्ति से किया करें। यदि ग्राहक अपने स्थायी पते का 'वैध दस्तावेज' देता है तो बैंक खाता खोलने, अद्यतन बनाने के लिए या वर्तमान खाते की जानकारी को स्थायी पते और वर्तमान पते में भिन्नता होने पर पता संबंधी सबूत देने की अपेक्षा हटा दी गई है। ई-केवाईसी प्रक्रिया से प्राप्त यूआईडीएआई से उपलब्ध सूचना को धन-शोधन-निवारण अधिनियम के तहत आधिकारिक तौर पर वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया गया है।

*एटीएम लेन-देन के लिए ग्राहक सेवा की वृद्धि*

VI.72 एटीएम के कामकाज को और बेहतर बनाने के लिए, बैंकों को कहा गया कि कैश उपलब्ध न हो तो लेन-देन शुरू होने से पहले इसके बारे में संदेश दर्शाएं, एटीएम परिसर में एटीएम आईडी साफ-साफ दर्शाएं, एटीएम संबंधी शिकायतों के लिए फॉर्म एटीएम परिसरों में उपलब्ध कराए जाएं और उस अधिकारी का नाम और संपर्क विवरण (कॉन्टैक्ट डिटेल्स) भी दर्शाया जाए जिसके पास शिकायत दर्ज की जानी है।

VI.73 बैंकों को कहा गया था कि शिकायतें दर्ज करने/ खो गए कार्डों की रिपोर्टिंग और ब्लॉकिंग के लिए पर्याप्त टोल फ्री नंबर्स उपलब्ध कराएं ताकि देर न हो और अनुरोधों को प्राथमिकता दी जाए, ग्राहकों के मोबाइल नंबर्स/ई-मेल आईडी को तत्परता से दर्ज करें और एटीएम लेन-देन के सभी स्क्रीनों/चरणों के लिए टाइम आउट सेसन की व्यवस्था करें।

*ग्राहकों के हित में अन्य उपाय*

VI.74 ग्राहकों को एसएमएस अलर्ट भेजने में लगाए गए प्रभारों को उचित व समान बनाने के लिए बैंकों को कहा गया है कि वे अपने पास व टेलिकॉम कंपनियों के पास उपलब्ध टेक्नलॉजी का अधिकतम उपयोग करके यह सुनिशचित करें कि ये प्रभार सभी ग्राहकों पर वास्तविक उपयोग के आधार पर लगाए जाएं।

VI.75 किसी निष्क्रिय (इनऑपरेटिव) खाते में न्यूनतम बैलेंस न मेंटेन करने पर दंडात्मक प्रभार लगाने से भी बैंकों को मना किया गया है। तथापि, इन खातों की निष्क्रियता को देखते हुए इन्हें मिलने वाली अतिरिक्त सेवाओं को वापस लिया जा सकता है। व्यक्ति उधारकर्ताओं को दिए गए सभी फ्लोटिंग रेट सावधि ऋणों पर समय-पूर्व भुगतान दंड लगाने से बैंकों को मना किया गया है।

VI.76 वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने तथा नाबालिगों के खाते खोलने व ऑपरेट करने में समानता लाने के लिए भी बैंकों को कहा गया है कि अपने प्राकृतिक या कानूनी तौर पर नियुक्त अभिभावक के माध्यम से कोई भी नाबालिग एक बचत/मीयादी/आवर्ती बैंक जमा खाता खोल सकता है। 10 वर्ष से ऊपर के नाबालिग, यदि चाहें तो, बचत खाता स्वतंत्र रूप से खोल सकते हैं।

### भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड

VI.77 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गठित भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड एक स्वायत्त और स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य करता है तथा व्यक्तियों, सूक्ष्म व लघु उद्यमों (एमएसई) को दी जाने वाली बैंकिंग सेवा के न्यूनतम मानक तय करता है। इसने दो संहिताएं (कोड्स) प्रस्तुत की हैं: ग्राहकों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता की संहिता और सूक्ष्म व लघु उद्यमों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता, जिसमें पहले को जनवरी 2014 में दूसरी बार संशोधित किया गया है।

VI.78 शाखाओं में विजिट करके और बैंक ग्राहकों के साथ संवाद के जरिये, बीसीएसबीआई सदस्य बैंकों द्वारा संहिताओं के कार्यान्वयन पर निगरानी भी रखता है और तदनुसार बैंकों को उनके अनुपालन पर रेट किया जाता है। 'ग्राहक सभाएं' आयोजित करने के अलावा टाउन हॉल मीटिंगों तथा बीओ व अन्य बैंकों द्वारा आयोजित जागरुकता कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर बीसीएसबीआई ने संहिताओं के बारे में जागरुकता बढ़ाने के अपने प्रयास जारी रखे।

### एफएसएलआरसी के सुझावों का कार्यान्वयन

VI.79 रिज़र्व बैंक एफएसएलआरसी रिपोर्ट (मार्च 2013) की गैर-विधायी सिफरिशों को लागू करने की प्रक्रिया में है। फिर भी, अर्थव्यवस्था की बदलती जरूरतों के साथ विनियामक की स्वतंत्रता

**बॉक्स VI.5:**
**एफएसएलआरसी के सुझावों का कार्यान्वयन**

वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग (एफएसएलआरसी) का गठन मार्च 2011 में किया गया था जिसका उद्देश्य 'वर्तमान अपेक्षाओं के अनुसार वित्त जगत के कानूनों को पुनः लिखना और उनमें साफगोई लाना था'। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 22 मार्च 2013 को प्रस्तुत की। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सात एजेंसियों को शामिल करते हुए एक वित्तीय नियामकीय तंत्र बनाने का प्रस्ताव किया है।

| एजेंसी | उत्तरदायित्व |
|---|---|
| भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) | • मौद्रिक नीति<br>• बैंकिंग और भुगतान प्रणाली के संदर्भ में सूक्ष्मविवेकपूर्ण पर्यवेक्षण और ग्राहक सुरक्षा |
| एकीकृत वित्तीय एजेंसी (यूएफओ) | • सभी वित्तीय फर्मों के संदर्भ में सूक्ष्मविवेकपूर्ण पर्यवेक्षण और ग्राहक सुरक्षा (बैंकिंग और भुगतान प्रणाली को छोड़कर)<br>• संगठित वित्तीय व्यापार का विनियमन |
| वित्तीय क्षेत्र अपीलीय अधिकरण (एफसैट) | भारतीय रिजर्व बैंक के विनियामकीय कार्यकलापों, यूएफए, एफआरए के निर्णयों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई और संकल्प (रिज्योल्यूशन) निगम के कार्यों के कुछ घटक। |
| संकल्प निगम | डीआईसीजीसी को निगम में समामेलित कर दिया जाएगा जो समस्त वित्तीय प्रणाली के लिए कार्य करेगा। |
| वित्तीय निवारण एजेंसी (एफआरए) | सभी प्रकार की वित्तीय कंपनियों के विरुद्ध ग्राहकों की शिकायतों का निस्तारण करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी व्यवस्था। |
| लोक ऋण प्रबंधन एजेंसी (पीडीएमए) | लोक ऋण का प्रबंध करने के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी |
| वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) | एफएसडीसी का एक सांविधिक निकाय के रूप में पुनः गइन किया जाना जिसके पास कार्यकारी शक्तियों होंगी और प्रणालीगत जोखिम और विकास के क्षेत्र में इसकी संशोधित गतिविधियां होगी। |

आयोग ने वित्तीय क्षेत्र के लिए एक क्षेत्र-रहित तथा सिद्धांत-आधारित एक विधियक हेतु ''भारतीय वित्तीय संहिता'' का मसौदा भी बनाया है। आयोग ने सुझाव दिया है कि चार प्रकार के प्रकरणों के आस-पास वित्तीय विनियामकीय प्रक्रिया के लिए आधारशिला रखी जाए, नामतः उद्देश्य की स्पष्टता और हितों के टकराव से बचाव, शक्यिों को सुविचारित रूप से परिभाषित करना, परिचालन और राजनीतिक स्वतंत्रता, एवं तदनुसार, न्यायिक पर्यवेक्षण की प्रक्रिया के जरिए उत्तरदायित्वता तंत्र।

*जारी*

आयोग की रिपोर्ट भारतीय वित्तीय इतिहास में अत्यधिक अनुसंधान कर लिखी गई रिपोर्टों में से एक रिपोर्ट है। ग्राहक सुरक्षा के संबंध में इसके द्वारा किए गए प्रावधान स्वागतयोग्य हैं और आयोग द्वारा अपनाई गई समग्र पद्धति भी सराहनीय है- जैसे कि वित्तीय क्षेत्र के विनियमन के लिए गैर-क्षेत्रगत पद्धति, सिद्धांत पर आधारित कानून, विनियामकीय स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व, निष्पक्षता और प्रतिस्पर्द्धा के सिद्धांत, विनियमन निर्माण के ढांचागत प्रक्रिया, आदि। बेहतर कारपोरेट अभिशासन और विनियामकों की पारदिर्शिता के संबंध में आयोग की सिफारिशें स्वागतयोग्य हैं।

एफएसएलआरसी ने ग्राहक सुरक्षा के संबंध में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। विशेष रूप से, इसने ग्राहकों को बेचे जाने वाले वित्तीय उत्पादों के उचित स्वरूप का निर्धारण करने के बारे में वित्तीय संस्थाओं के उत्तरदायित्व पर अधिक जोर दिया है। इस पर बहस की जा सकती है कि क्या ग्राहक सुरक्षा क्षेत्रगत विनियामक के भीतर होनी चाहिए अथवा इसे नए वित्तीय निस्तारण प्राधिकरण के तहत होना चाहिए।पूर्ववर्ती व्यवस्था के तहत जहां क्षेत्रगम विनियामक त्वरित रूप से सूचना एकत्रित कर सकेगा और यदि आवश्यक हुआ तो, विनियमनों को अपना सकेगा, वहीं दूसरी व्यवस्था विभिन्न विनियामकों के तहत आने वाली उत्पादों के लिए नितारण की सुविधा सुनिश्चित कर सकेगी। संतुलित रूप में देख जाए तो, एफआरए की व्यवस्था अपनाने के पूर्व हमें क्षेत्रगत नियामकों के तहत ग्राहक सुरक्षा विभागों को मजबूत करना चाहिए ताकि अंतरों को भरा जा सके।

राजकोष में अति कम लागत पर विफल वित्तीय फर्मों के समाधान के लिए समाधान निगम का गठन करने के प्रस्ताव की भी काफी आवश्यकता है। भारत में वित्तीय क्षेत्र के लिए एफएसडीसी द्वारा गठित समाधान व्यवस्था कार्य समूह ने ऐसी एजेंसी पर विवरण प्रस्तुत किए हैं। तथापि इस संबंध में एफएसएलआरसी के कुछ प्रस्तावों की सावधानीपूर्वक समीक्षा करने की आवश्यकता होगी जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि जमाकर्ताओं के हित सुरक्षित हैं और वित्तीय फर्मों की जांच करने के लिए समाधान निगम की शक्तियां विनियामकों की शक्तियों का दुहरीकरण और ओवरलैपिंग नहीं हैं।

मौद्रिक नीति प्रक्रिया के लिए एफएसएलआरसी द्वारा निर्धारित व्यापक दृष्टिकोण रिज़र्व बैंक की सोच के अनुरूप है। मौद्रिक नीति ढांचे को सुदृढ़ और संशोधित करने के लिए रिज़र्व बैंक के विशेषज्ञ समिति (अध्यक्षः डॉ. उर्जित पटेल) की रिपोर्ट के बाद एफएसएलआरसी द्वारा एक स्पष्ट मौद्रिक ढांचे की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। रिपोर्ट में प्रस्तावित मौद्रिक नीति के लिए जवाबदेही संरचनाएं व्यापक रूप से स्वीकार्य है। तथापि, मौद्रिक नीति समिति की संरचना और एक कार्यकारी निकाय के रूप में इसके गठन के संबंध में कुछ बदलावों की जरूरत होगी। मौद्रिक नीति निर्माण में सरकार की प्रस्तावित संवर्धित भूमिका पर भी चर्चा करने की आवश्यकता है। रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के साथ इन मुद्दों को उठाया है।

रिज़र्व बैंक पहले से ही एफएसएलआरसी की अनेक सिफारिशों का कार्यान्वयन शुरू कर चुका है जो स्वभाव से अभिशासन में संवर्धन करने वाली हैं और जिनमें विधायी बदलावों की आवश्यकता नहीं है। ये सिफारिशें उपभोक्ता अधिकार और संरक्षण, विनियमन निर्माण की प्रक्रिया, जवाबदेही, विनियामक बोर्ड के सदस्यों का गठन और चयन प्रक्रिया, बोर्डों की कार्यपद्धति, रिपोर्टिंग और निष्पादन मूल्यांकन में अधिक पारदर्शिता, क्षमता निर्माण आदि से संबंधित हैं। एक समय निर्धारित (90 दिन) अनुमोदन प्रक्रिया अपनाने के सुझाव का अनुसरण करते हुए रिज़र्व बैंक ने सेवाओं की प्रदायगी के लिए ञ?नियामक अनुमोदनोंट के लिए समय-सीमा और ञ?ागरिक चार्टरट प्रकाशित किया है। जैसाकि रिपोर्ट में सिफारिश की गई है, रिज़र्व बैंक में सभी जांच एक समयबद्ध प्रक्रिया और लागू प्रणालियों के अंदर की जाती है जिससे कि किसी भी जांच में समय-सीमा से अधिक समय लगने की समीक्षा की जा सके। रिज़र्व बैंक जांच प्रक्रिया को और ठीक करने की प्रक्रिया में है। रिज़र्व बैंक द्वारा गठित दो समितियां बैंकों और अन्य विनियमित संस्थाओं के स्टाफ और बोर्ड के निदेशकों दोनों के लिए रिज़र्व बैंक तथा इसके द्वारा विनियमित वित्तीय बाज़ार खंडों में आवश्यक क्षमता निर्माण की जांच कर रही हैं। इस प्रकार कई सिफारिशों का विनियामकों द्वारा पहले से कार्यान्वयन जिनमें विधायी बदलावों की आवश्यकता नहीं है।

फिर भी कुछ अवशिष्ट मुद्दे हैं जिनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं :

***प्रस्तावित विनियामक संरचना***

मुद्दों का पहला सेट प्रस्तावित विनियामक संरचना से संबंधित है। आयोग के प्रस्ताव कुछ मामलों जैसे नए संस्थान सृजित करने और मौजूदा संस्थानों को तोड़ने के औचित्य और आने वाली लागत और लाभ का विश्लेषण के लिए पर्याप्त रूप से सही प्रतीत होता है। आयोग उन सहक्रियाओं पर चर्चा करता है जो कुछ विनियामकों को एक साथ लाने से प्राप्त की जा सकती हैं। तथापि, उन सहक्रियाओं पर कोई चर्चा नहीं हुई है जो अन्य विनियामकों के विखण्डन से खत्म हो जाएंगी। सभी के विनियमन निर्माण की आधारशीला के रूप में पुष्ट लागत लाभ विश्लेषण के रूप में प्रस्तावित विनियामक संरचना की लागतों और लाभों का बहुत कम अनुभवजन्य विश्लेषण नहीं है।

आयोग के दृष्टिकोण में कुछ विसंगतियां भी हैं। जबकि एक तरफ यह वित्तीय उत्पादों और पण्य वस्तुओं की संगठित ट्रेडिंग के विनियमन का सुझाव देता है, ट्रेडिंग एक विनियामक एजेंसी के पास केंद्रीकृत होनी चाहिए, बैंकों जैसे कार्यकलाप करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का विनियमन बैंकिंग विनियमन के साथ प्रस्तावित नहीं किया गया है। कुछ ऐसे उदाहरण है जहां आयोग एक एजेंसी को कुछ उत्तरदायित्व सौंपने का प्रस्ताव करता है किंतु उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए आवश्यक साधनों के उपयोग के लिए शक्तियां अन्य एजेंसी के पास छोड़ देता है। उदाहरण के लिए रुपए के आंतरिक और बाह्य मूल्य और अधिक व्यापक रूप से समष्टि आर्थिक स्थिरता को व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी रिज़र्व बैंक की है। पूंजीगत प्रवाहों को आकार देने की योग्यता को अब समष्टि-विवेकपूर्ण साधनों के अंग के रूप में पहचाना गया है। फिर भी आवक पूंजीगत अंतर्वाहों, अधिक विशेषरूप से रिज़र्व बैंक से ऋण प्रवाहों पर नियंत्रण पाने का सुझाव देते हुए एफएसएलआरसी रिज़र्व बैंक से एक महत्वपूर्ण साधन वापस ले रहा है।

समष्टि विवेकपूर्ण विनियमन, प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण फर्मों के विनियमन, सभी जमा स्वीकार करने वाली और ऋण संस्थाओं का विनियमन, ऋण उन्मुखी पूंजीगत अंतर्वाहों का विनियमन, मुद्रा, सरकारी प्रतिभूतियों, ऋण और विदेशी

*जारी*

मुद्रा बाजारों का विनियमन तथा केंद्रीय बैंक के पास सार्वजनिक ऋण के प्रबंध के संबंध में प्रबल तर्क हैं जो विशेषरूप से वैश्विक वित्तीय संकट के अनुभवों से उत्पन्न हुए हो रहे हैं।

विनियमन के कुछ खंडों के लिए आयोग का दृष्टिकोण अर्थव्यवस्था के विकास स्तर को देखते हुए वित्तीय क्षेत्र के लिए प्रतिकूल हो सकता है। अंतर्निहित स्थिति यह है कि सभी वर्तमान खाते लेनदेन पूरी तरह से विनियमन मुक्त होने चाहिए। जबकि तदस्थता और प्रतिस्पर्धा के लिए प्रस्तावित दृष्टिकोण सराहनीय है, विदेशी बैंकों और विदेशी संस्थाओं के लिए ऐसे दृष्टिकोण में कुछ सुधार और सावधानी की आवश्यकता है। प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के समग्र दृष्टिकोण का वित्तीय फर्मों और वित्तीय स्थिरता वाली फर्मों की स्थिति पर विचार करने पर आकलित किए जाने की आवश्यकता है। ये प्रस्ताव कि हेज निधियों, निजी इक्विटी निधियों, उद्यम निधियों और सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं जैसे कुछ वित्तीय सेवा प्रदाताओं को सूक्ष्म विवेकपूर्ण ढ़ंग से विनियमित होनेकी आवश्यकता नहीं है, इस संबंध में हाल की वैश्विक प्रगति को अनदेखा करते प्रतीत होते हैं। विनियामक विश्वभर में विनियमित संस्थाओं से आंकड़े एकत्र करते हैं जो ऐसी संस्थाओं के साथ उनके न्यासीय संबंध पर आधारित होते हैं। विनियमित संस्थाओं से सीधे सूचना प्राप्त करने के लिए विनियामकों पर रोक लगाने वाली सिफारिश प्रतिबंधात्मक है और वैश्विक सर्वोत्तम पद्धतियो के विरूद्ध है। मौद्रिक नीति के उद्देश्यों को बार-बार समीक्षा करने के लिए खुला छोड़ने के प्रस्ताव से केंद्रीय बैंक के लिए मौद्रिक विश्वसनीयता प्राप्त करने में बाधा आएगी। ये उद्देश्य अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट होने चाहिए और संसद द्वारा अनुमोदित होने चाहिए।

### *न्यायिक निगरानी*

एफएसएलआरसी उल्लेख करती है कि विनियामक ञ्अति लघु राज्यट हैं जिनके पास विधायी, कार्यपालक और न्यायिक शक्तियां हैं और एक संस्था में संपुटित हैं। यह विनियामकों के लिए अभिशासन के वस्तुनिष्ठ मानकों वाली विस्तृत जांच और संतुलन व्यवस्था, संरचित विनियमन प्रक्रिया, निष्पादन माप व्यवस्था और न्यायिक अधिकरण द्वारा निगरानी का प्रस्ताव करती है।

निश्चित रूप से नियंत्रण और संतुलन के उपाय ज़रूरी हैं। पहले से ही नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था विद्यमान है, जिसके अंतर्गत सांविधिक न्यायालयों, यथा- उच्च न्यायालयों में दाखिल रिट याचिकाओं के माध्यम से की जाने वाली समीक्षा शामिल है। सरकार द्वारा विनियामक के वरिष्ठतम अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है, और उन्हें निकाला जा सकता है। विनियामकों की वार्षिक रिपोर्ट के संबंध में आयोग द्वारा दिए गए प्रस्ताव स्वागत योग्य है। इस कदम से विनियामकों के दायित्व और उन पर निगरानी बढ़ेगी।

एफसैट के सृजन के प्रस्ताव और विनियामक के प्रत्येक कदम, जैसे विनियमन बनाना, नीतिगत निर्णय, निर्णयन प्रक्रिया, विनियामक निर्णय आदि, का नियंत्रण किए जाने से अत्यधिक विधिक निगरानी का खतरा पैदा हो जाएगा। विनियामक अपने अनुभव से न्यायसंगत निर्णय लेकर कानूनों, संविधाओं और विनियमों में रहने वाली खामियों को दूर करने का प्रयास करता रहता है। किंतु विनियामक द्वारा उठाए जाने वाले प्रत्येक कदम को किसी भी न्यायालय में सिद्ध नहीं किया जा सकता तथा प्रत्येक विनियामक निर्णय पर अन्यों द्वारा आलोचना किए जाने से प्रतिकूल स्थिति पैदा हो सकती है। ऐसे खतरे का प्रभाव विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से और नुकसानदेह होता है, जहां मंद गति से चलने वाली विधिक प्रणाली और अनुभवहीन न्यायाधिकरण का मेल विनियमन प्रक्रिया को धीमा कर देगा और समग्र प्रणाली में अस्तव्यस्थता फैल जाएगी।

किसी भी देश में, विशेष रूप से विकासशील अर्थव्यवस्था वाले हमारे देश में नियंत्रण और संतुलन स्थापित करने हेतु विनियामक के पास रहने वाले जांच के साधनों से विनियमिती में विनियामक के प्रति आदर का भाव पैदा होता है। किंतु विनियामक के प्रत्येक कदम पर निजी क्षेत्र द्वारा जांच किया जाना विनियामक को अपने अधिकार से वंचित रखने के समान है और यहां तक कि वह सदाचार को कायम रखने के लिए भी कदम नहीं उठा सकता।

इस आयोग ने केंद्रीय बैंक को विशिष्ट स्वतंत्रता प्रदान करने पर ज़ोर दिया है। किंतु उसकी सिफारिशों में स्वतंत्रता को बढ़ाने के बजाय विनियामक को वर्तमान में प्राप्त स्वतंत्रता को छीनने की बात कही गई है।

### *विनियमन और सिद्धांतों पर आधारित कानून*

आयोग के प्रस्ताव में क्षेत्र-केंद्रित दृष्टिकोण के अभाव के चलते अत्यधिक जेनरलैजेशन का जोखिम उत्पन्न हो सकता है। वैश्विक स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग-अलग विवेकपूर्ण मानदंड प्रचलन में हैं (उदाहरणार्थ बैंकिंग संबंधी बेसल मानदंड, बीमा संबंधी सॉल्वन्सी मानदंड, आदि)। जबकि विनियमन के स्तर पर क्षेत्र-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने के परिणामस्वरूप विनियमावली रूपी 'विशालकाय संरचना' 'कमज़ोर विधिक आधार' पर खड़ी हो जाएगी।

पुनश्च, सिद्धांतों पर आधारित विधि बनाने हेतु इस नए दृष्टिकोण को अपनाने के चलते विनियामकों को नियम निर्मित करने का दायित्व मिलता है, जबकि यह कार्य विधायकों का प्रमुख दायित्व होना चाहिए। परिणामस्वरूप, इस विधि के निर्वचन में कई चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं और अनावश्यक मुकदमेबाजी हो सकती है तथा इससे वित्तीय प्रणाली पर अतिरिक्त लागत का बोझ पड़ सकता है। समस्त विनियमन व्यवस्था पर सिद्धांतों पर आधारित विनियमन रखने के बजाय विनियमन के एक निश्चित क्षेत्र पर नपे तुले तरीके से सिद्धांतों पर आधारित विनियमन शुरू किया जाना उपयोगी सिद्ध हो सकता है।

### *भारतीय वित्तीय संहिता - खामियां*

भारतीय वित्तीय संहिता का प्रारूप व्यापक है, जबकि इसे एक विधि रूप देने से पहले महत्त्वपूर्ण कदम उठाना ज़रूरी है। इस आयोग ने अकारणवश बैंकिंग, जमाराशि, सरकारी प्रतिभूति आदि जैसे शब्दों को पुनः परिभाषित करने की चेष्टा की है। इसके कारण बनने वाली परिभाषाओं के निर्वचन में काफी मतभेद पैदा हो सकता है। इस रिपोर्ट में की गई सिफारिशों व कथनों तथा कानूनी मसौदों में काफी अंतर है। इन्हें दूर करना आवश्यक है। निष्कर्षतः यदि इस विधि को प्रभावी बनाना हो तो उपर्युक्त खामियों को दूर करना ज़रूरी है।

[3] श्री पी.जे. नायर द्वारा एफएसआरएलसी रिपोर्ट के बारे में असहमति नोट।

के साथ संतुलन बनाने को ध्यान में रखते हुए इन सुझावों का सावधानीपूर्वक आकलन किए जाने की जरूरत है (बॉक्स VI.5)। अधिक सुदृढ़ वित्तीय व्यवस्था सुनिश्चित करने और उसमें निहित जोखिमों को कम करने की दृष्टि से ग्राहक सुरक्षा व संतुष्टि को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग व गैर-बैंकिंग क्षेत्रों की सहायता करने व इनका पोषण करने के अपने प्रयासों को रिज़र्व बैंक जारी रखेगा।